



राजभाषा विशेषांक

जल विकास

JAL VIKAS

त्रैमासिक
Quarterly

खंड-31
Vol-31

अक्टूबर, 2020
October, 2020

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की आंतरिक पत्रिका
(Inhouse bulletin of National Water Development Agency)

हिन्दी पखवाड़ा-2020



इस अंक में

संदेश एवं अपील

-	महानिदेशक महोदय की ओर से	02
-	मुख्य अभियंता (मुख्यालय) का संदेश	03
-	निदेशक (तकनीकी) एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा संपादकीय	04
-	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा राजभाषा अपील	05
-	माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा राजभाषा संदेश	06

लेख

-	नदियों को साफ रखने में घाट प्रथा का महत्व श्री सतीश चन्द्र अवस्थी, अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण सर्किल, ग्वालियर	08
-	गोदावरी (इंचम्पल्ली/जानमपेट)-कावेरी (ग्रांड अनीकट) लिंक परियोजना श्री सियाराम माहोर, उपनिदेशक, नई दिल्ली	11
-	जीवन का संरक्षण-जलवायु का संरक्षण साली अरुण गंगाधर, प्रारूपकार, अन्वेषण प्रभाग, भोपाल	15
-	जल संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन राम किशन, सहायक अभियंता, नई दिल्ली	18
-	जल है तो कल है राधा, अवर श्रेणी लिपिक नई दिल्ली	22
-	नदियों को जोड़ने की चुनौतियां रीता कश्यप, आशुलिपिक, नई दिल्ली	26

रा.ज.वि.अ. की गतिविधियां

-	तकनीकी सार संग्रह	29
-	प्रशिक्षण/संगोष्ठी/सम्मेलनों में भागीदारी	30
-	नियुक्ति/पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/शोक का विवरण	31
-	मुख्यालय में हिन्दी पखवाड़ा-2020 का आयोजन	34
-	मुख्य अभियंता (उत्तर) के कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा-2020 का आयोजन	41
-	मुख्य अभियंता (दक्षिण) के कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा-2020 का आयोजन	51

कविताएं

-	जल संरक्षण बी. रविचंद्र, अधिशासी अभियंता, भुवनेश्वर।	62
-	पर्यावरण और जल परमानंद सोनी, सहायक अभियंता, अन्वेषण सर्किल, ग्वालियर।	63
-	मैं जल बोल रहा हूँ अभिषेक शर्मा, आशुलिपिक, झांसी।	64

रा.ज.व.अ. पदाधिकारियों के बच्चों का कोना

-	पानी की कीमत रिदा कश्यप	65
-	पर्यावरण के प्रति सचेत करता हुआ एक काल्पनिक आरेखन मास्टर शुभम सामंतराय, कक्षा 9वीं	66
-	नन्ही कलम से... जल की बर्बादी के कारण भविष्य में होने वाली समस्याओं का चित्रण श्रेया सामंतराय, कक्षा 12वीं	67

महानिदेशक महोदय की ओर से



भावनाओं की अभिव्यक्ति मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है जो अन्य जीवधारियों की अपेक्षा उसे विशिष्टता प्रदान करता है। अभिव्यक्ति के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है, आदिमानव संकेतों के माध्यम से परस्पर संवाद करता था। कालांतर में मानव विकास के साथ ध्वनि संकेतों को माध्यम बनाया जाने लगा जो धीरे-धीरे आगे चलकर शब्द रूप लेने लगे और उत्तरोत्तर इसी विकास प्रक्रिया के अंतर्गत भाषाओं का जन्म हुआ।

आर्यावर्त की संस्कृत, प्राकृत एवं पाली आदि भाषाओं के चलन के बाद हिन्दी की कड़ी जुड़ गई जो देवनागरी लिपि में अंकित हुई। देवनागरी लिपि का यही स्वरूप आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस, संस्कृति, आचार-विचार एवं व्यावहारिक के लिए “पावन दूब और धान है हिन्दी” की सूक्ति को चरितार्थ कर रही है। अर्थात् हिन्दी भाषा हमारे जीवन और संस्कृति का अंग बन गई है।

वर्तमान में हिन्दी एक संपर्क भाषा ही नहीं यह व्यापार, उद्योग, मीडिया, मनोरंजन, अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भाषिक दृष्टि से समृद्ध करते हुए नए क्षितिज पर पहुंचा चुकी है।

यद्यपि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, पूर्ण रूप से तकनीकी कार्य करने वाला संगठन है जिसमें मुख्य रूप से नदी जोड़ के अध्ययनों की तकनीकी रिपोर्टें आदि तैयार की जा रही हैं फिर भी यह प्रयास किया जाता है कि अधिकतम कार्य हिन्दी में ही संपादित किया जाये। हमारा सार्थक प्रयास राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में हिन्दी के व्यावहारिक पथ पर चल रहा है और हम सभी का यह कर्तव्य भी है कि अपनी इस प्रगति को बाधित न होने दें।

वर्ष 2019-20 में हिन्दी के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए “राजभाषा वैजयंती” अन्वेषण सर्किल हैदराबाद और लघु राजभाषा वैजयंती उसके अधीनस्थ अन्वेषण प्रभाग, हैदराबाद, अन्वेषण प्रभाग, बंगलूरु, अन्वेषण प्रभाग, चेन्नै, अन्वेषण प्रभाग, नागपुर, एवं अन्वेषण प्रभाग-1 एवं अन्वेषण प्रभाग-11 नासिक को प्राप्त हुई है। सभी को मेरी हार्दिक बधाई।

(भोपाल सिंह)

महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण



संदेश

भौगोलिक दृष्टि से भारत में बहुभाषिकता का प्रचलन रहा और बहुभाषिकता के आधार पर संविधान में कई भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली है जिनमें से हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिन्दी की परंपरा और इसका इतिहास अपने महत्व को आज भी बनाये हुए है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिन्दी भाषा जन-जन की भाषा बनती जा रही है। हिन्दी अब बाजार, व्यापार, समाचार, रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी, अद्यतन तकनीकी खोज और अनुसंधान एवं सहज संपर्क की भाषा का रूप ले चुकी है। आज की हिन्दी हमारी परंपराओं और विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में हमारे बीच विद्यमान है।

रा.ज.वि.अ. ने हिन्दी में कार्यालयी कार्य करने की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। केंद्र सरकार के सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निदेशों का समुचित अनुपालन करते हुए उसके लक्ष्यों को प्राप्त किया है और इसके अनुपालन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में भी निरंतर राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी भौतिक निरीक्षण और मॉनीटरिंग की है जिससे कि मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में सरलता एवं सुगमता बनी रहे।

अतः आगे भी हम सबका यह कर्तव्य है कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हम इसी संकल्प से आगे बढ़ते रहें। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

आर के जैन

(आर के जैन)

मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

संपादकीय


वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति की पानी की मांग लगभग 85 लीटर है जो सन 2025 तक लगभग 125 लीटर होने की सम्भावना है। देश में जल उपभोक्ता और जल उपलब्धता के संदर्भ में विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि भारत में पिछले लगभग 60-70 वर्षों में जल उपलब्धता एक तिहाई रह गई है और जनसंख्या पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ गई है। जल के अन्य स्रोतों के मुकाबले हम मुख्यतया भूजल पर निर्भर होते चले जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि भूजल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी जल की उपलब्धता और उपभोक्ता के बीच का यह अंतर बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखकर ही रा.ज.वि.अ. ने अपनी योजनाओं के द्वारा जल संकटों से उबरने के लिए कई अध्ययन किए हैं, जिनके क्रियान्वित होने से भारत में जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को पानी अंतरित करके इस संकट का समाधान निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इस अंक में रा.ज.वि.अ. मुख्यालय, मुख्य अभियंता (उत्तर) एवं मुख्य अभियंता (दक्षिण) तथा उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिन्दी पखवाड़ा-2020 में कराई गई विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं उनमें पुरस्कृत पदाधिकारियों का विवरण भी झलकियों के साथ प्रकाशित किया जा रहा है। महानिदेशक महोदय द्वारा जारी अपील एवं माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, श्री अमित शाह, द्वारा जारी संदेश भी प्रकाशित किया जा रहा है।

जल विकास का राजभाषा अंक प्रत्येक वर्ष नई अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयत्न करता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है उसी प्रकार यह राजभाषा विशेषांक रा.ज.वि.अ. की समस्त गतिविधियों से आपको परिचित कराने का प्रयास है। लेखों में आपको जल संबंधी कई पहलुओं का परिचय मिलेगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कविताएं आपको भाव-विभोर करने में सफल होंगी।

आशा है कि जल विकास का यह अंक आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और इस संबंध में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवगत कराएंगे।



(अर्चना गुप्त)

सहायक निदेशक (राजभाषा)



भोपाल सिंह
महानिदेशक
Bhopal Singh
Director General



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



दिनांक : ०५ सितम्बर, 2020

अपील

उदारीकरण, उपभोक्तावाद एवं भूमंडलीकरण के इस वर्तमान युग में हिन्दी राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरी है। इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और भौगोलिक निहितार्थ भी उभर कर सामने आये हैं, जिनका संपोषण हिन्दी कर रही है। भारत एक बहुभाषी देश है जहां 'कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर बानी' बदलने वाली बहुप्रचलित कहावत रही है। बहुभाषिकता की इन्हीं विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए और सार्वभौम समाज को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए स्वाधीनता के बाद भारत सरकार ने आम जनमानस के लिए सरकारी कामकाज करने के लिए सामाजिक रूप से अधिक प्रचलित हिन्दी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और यह लक्ष्य रखा गया कि इस राजभाषा के माध्यम से बहुभाषी समाज तक भारत सरकार की जनहित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जायेगा।

चूंकि नदी जोड़ परियोजनाएं जन सामान्य से जुड़ी हुई हैं और इस पुनीत कार्य को जब तक जनसामान्य की आम भाषा में नहीं क्रियान्वित किया जायेगा तब तक हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।

संघ की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित है। संघ की राजभाषा होने के कारण हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने दैनिक कार्यालयी कार्यों में राजभाषा हिन्दी से संबंधित अनुदेशों, निदेशों का अनुपालन उसी दृढ़ता और तत्परता से करें जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों, निदेशों का अनुपालन करते हैं। हिन्दी दिवस के अवसर पर मेरी आपसे अपील है कि हम स्वयं अपना कार्य मूलरूप से हिन्दी में करें और इसके साथ-साथ अपने अधीनस्थों को भी मूलरूप से हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें।

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

18-20, सामुदायिक केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली / 18-20, Community Centre, Saket, New Delhi-110017
दूरभाष / Phone : 011-26519164 / 41033995 फैक्स / Fax : 011-26513846
कक्ष न. 305, पालिका भवन, आर.के. पुरम, सेक्टर-13, नई दिल्ली-110066
Room No. 305, Palika Bhawan, R.K. Puram, Sector-13, New Delhi-110066

अमित शाह

गृह मंत्री,
भारत सरकार



प्रिय देशवासियों !

हिंदी दिन के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

पूरी दुनिया में हमारा देश, एक अलग प्रकार का देश है। कई प्रकार की संस्कृतियां, कई प्रकार की कलाएं और कई प्रकार की भाषाओं का मेलजोल यहां पर दिखाई पड़ता है। यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम सभी दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र हैं। सांस्कृतिक व भाषाई विविधता से भरे, इस गौरवशाली देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच, सदियों से, कई भाषाओं ने संपर्क बनाए रखने का काम किया है। हिंदी इसमें प्रमुख भाषा रही है और ये योगदान जो हिंदी का है, इसको देश के कई नेताओं ने समय-समय पर सराहा है और हिंदी ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। हिंदी भाषा और बाकी सारी भारतीय भाषाओं ने मिलकर, भारत की सांस्कृतिक विविधता को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदी के साथ बृज, बुंदेलखंडी, अवधी, भोजपुरी, अन्य भाषाएं और बोलियां इसका उदाहरण हैं। हिंदी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय से राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम रही है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता, सरलता, सुबोधता और स्वीकार्यता भी है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी की इन विशेषताओं एवं सर्वग्राह्यता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया।

भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की अविरल धारा, मुख्य रूप से हिंदी भाषा से ही जीवन्त तथा सुरक्षित रह पाई है। हिंदी भाषा ने, बाकी स्थानीय भाषाओं को भी, बल देने का प्रयास किया है। हर राज्य की भाषा को, हिंदी ताकत देती है। हिंदी की प्रतिस्पर्धा कभी भी स्थानीय भाषा से नहीं रही, यह पूरे भारत के जनमानस में ज्यादा स्पष्ट होने की जरूरत है। 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा “हिंदी” व लिपि “देवनागरी” होगी। अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं का प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, जहां आवश्यक है या वांछनीय हो, वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए, हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक है कि सरकारी कामकाज अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से हिंदी में किया जाए और अन्य स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों तथा बैंकों इत्यादि के कार्यालय प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि स्थानीय भाषाओं के साथ-साथ वे सरकारी कामकाज में, मूल रूप से हिंदी का प्रयोग करें ताकि कार्यालय के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को भी अपना कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिले।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक संसाधन-संपन्न शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और इसमें देश की समृद्ध भाषा हिंदी का बहुत योगदान है। वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी में दिए गए भाषणों से, हिंदी का वैश्विक कद मजबूत हुआ है और हिंदी प्रेमियों को प्रेरणा भी मिल रही है। इससे देश की युवा पीढ़ी भाषा के साथ जुड़ने की ओर अग्रसर हुई है। बस, आवश्यकता इस बात की है कि आगामी पीढ़ी को अधिक से अधिक सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध कराई जाएं और उनमें ऐसे संस्कार विकसित किए जाएं कि वह मूल रूप से हिंदी भाषा में काम करें।

वर्तमान समय में कोई भी भाषा सूचना प्रौद्योगिकी के बिना पल्लवित और पोषित नहीं हो सकती। राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी की माध्यम से राजभाषा हिंदी का अधिक प्रचार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के “आत्मनिर्भर भारत” के अभियान को आगे बढ़ाते हुए, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के लिए ई-टूल्स सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। “वोकल फॉर लोकल” के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में विभाग द्वारा निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल “कंठस्थ” का विस्तार किया जा रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी

सुनिश्चित की सके। इसके अतिरिक्त लीला हिंदी प्रवाह, ई-महाशब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन भी हिंदी प्रेमियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। राजभाषा विभाग द्वारा ई-सरल हिंदी वाक्यकोश का विकास किया जा रहा है।

राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में, हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो पाएंगे। आज हिंदी दिवस के मौके पर मेरा यह कहना है कि सभी मंत्रालय सरकारी कामकाज में इन ई-टूल्स का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करें।

विगत कई माह से पूरी दुनिया अत्यंत विषम परिस्थिति से गुजर रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत कोरोना महामारी से लड़ने में सफल रहा और इस लड़ाई में सभी राज्य सरकारों के साथ प्रत्यक्ष नागरिकों ने भी सहयोग किया है। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर देश की जनता को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। कोरोना महामारी से उत्पन्न अप्रत्याशित संकट की स्थिति के कारण, जनहित को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष “हिंदी दिन समारोह” का आयोजन नहीं किया जा रहा है लेकिन जिन मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं, बैंकों, सरकारी उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने पूरे वर्ष पूरी निष्ठा से हिंदी में श्रेष्ठ कार्य किया है और प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीते हैं, उन्हें मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ-साथ हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लिए प्रदान किए जाने वाले राजभाषा गौरव पुरस्कार विजेता भी बधाई के पात्र हैं ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पुरस्कार विजेता यहीं से थकेंगे नहीं, भविष्य में, हिंदी के लिए कार्य करने के लिए, उच्च और अनुकरणीय मानदंड प्रस्थापित करते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी कि देश इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करे। राजभाषा विभाग ने भी इस अवसर का सकारात्मक उपयोग करते हुए सूचना तकनीक का सहारा लिया और पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों के जरिए, बड़ी संख्या में, ई-निरीक्षण एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया। राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया गया जिसमें परंपरागत क्लासरूम टीचिंग को परिवर्तित कर, ऑनलाइन वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा सवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का तत्परता के साथ अनुपालन करें। स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों से राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ, निर्बाध रूप से उठा पाए।


आईए! हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम प्रतिज्ञा लें कि हिंदी की उन्नति व प्रगति की यात्रा पूरे समर्पण के साथ हम आगे बढ़ाते हुए, हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी को सभी स्थानीय भाषाओं के साथ में रखते हुए, हिंदी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। इस मौके पर, मैं देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि जब स्थानीय भाषा में बोलने वाला साथी हो तब और कोई भाषा का प्रयोग न करते हुए भारतीय भाषाओं के प्रयोग का आग्रह रखिए। मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ भारतीय भाषाओं में बात करने की बात का संस्कार डालें और अपनी भाषाओं की यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से अन्य भारतीय भाषाओं व हिंदी का समानांतर विकास होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है हमारे सामूहिक प्रयासों से हिंदी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु, विश्वपटल पर ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित होगी।

“हिंदी दिन” के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

भारत माता की जय !

नई दिल्ली,

14 सितम्बर, 2020


हस्ताक्षर
(अमित शाह)

नदियों को साफ रखने में घाट प्रथा का महत्व

*सतीश चन्द्र अवस्थी

संदर्भ :- नदी हमारे जीवन में एक जीवन रेखा का काम करती है। इसके घाट सिर्फ मनुष्यों के लिये ही नहीं वरन् जानवरों के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। नदी जब घने जंगलों से निकलती है तो उसमें कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ शेर पानी पीते हैं, कहीं हिरण एवम् अन्य जंगल के जीव पानी पीते हैं। जानवरों को इतना अहसास जंगल के जीव ही दिलाते हैं कि इस घाट पर शेर/चीता या अन्य मांसाहारी जीव पानी पीने आते हैं। अतः ऐसे घाट पर शाकाहारी जीव पानी पीने नहीं जाते।

हमारा देश पूर्व में राजाओं द्वारा शासित रहा है और राजा का मूल धर्म होता था कि वह तालाबों, बावड़ियों आदि का निर्माण करवाता था। उसमें नदियों पर घाट बनवाना भी एक महत्वपूर्ण कदम होता था। नदी के घाट एक दम स्वच्छ रखे जाते थे और आने वाले व जाने वाले लोग इन घाटों पर पानी पीते थे एवं पानी की सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। प्रत्येक घाट के ऊपर एक केवट तैनात रहता था तथा उसे निर्देश होते थे कि कोई नदी को गंदा ना करे। प्रत्येक घाट का एक नाम होता था जो यह बताता था कि अमुक घाट के ऊपर आदमी अपनी दैनिक क्रियायें करते हैं, अमुक घाटके ऊपर पशु पानी पीते एवम् अमुक घाट पर स्नान करना, तैरना आदि किया जाता है। इस व्यवस्था को प्रत्येक राजा के क्षेत्र से गुजरने वाली नदी को सुचारु और साफ पानी से भरा हुआ रखने के लिये मल्लाह रहते थे। और वे राजा के खजाने से बतौर इस कार्य हेतु मासिक वेतन पाने के हकदार रहते थे।

राजा कई घाट बनवाते थे और जिसमें प्रजा और राजा का भी अलग-अलग घाट होता था। घाट को यदि हम परिभाषित करें तो यह कहना होगा कि नदी का वो भाग जिसमें सीढ़ियाँ और स्नान ग्रह बनाया जाता था। घाट प्रथा प्रायः आज भी हमारी मुख्य नदियों के ऊपर है। इनकी स्थिति पर प्रकाश निम्न बातों के माध्यम से डाला जा रहा है। इस प्रथा को पुनः जीवित करके अपनी नदियों को स्वच्छता, शुद्धता और प्रबलता के प्रवाह में बदला जा सकता है।

(1.) घाट प्रथा की शुरूआत :- घाट प्रथा एक माध्यम थी आपसी भाई चारे को बढ़ाने की और प्रत्येक पारिवारिक जीवन की परेशानी को समझने की, आज की स्थिति में और उस समय की स्थिति में अंतर किया ही नहीं जा सकता है। इस प्रथा की शुरूआत मुगल कालीन राजाओं ने की थी और आज भी दिल्ली के लाल किले में अलग-अलग ठंडे और गरम पानी प्राप्त करने

की व्यवस्था पाई गई है। लेकिन आज इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। ये घाट प्रथायें भाईचारे को बढ़ावा भी देती थीं तथा नदी के प्रबल बहाव के संतुलित दोहन से वर्ष भर जल की प्राप्ति का एक माध्यम/सहायक रहती थी। नदी में पानी रहने से कुँए के जल स्तर बढे हुऐ रहते थे। और स्वच्छ जल अधिकता में मिलता रहता था। नदी से प्राप्त बहाव के कारण सिंचाई एंवम् कई प्रकार के फल और सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती थीं जिससे मनुष्य का जीवन स्वस्थ और रोग मुक्त रहता था। जब गाँव वासी या शहर वासी उक्त घाट पर मिलते थे तो आपसी परेशानियों का बँटवारा और बच्चों के शादी विवाह तथा पढ़ाई लिखाई की बातें करके उनका निपटारा किया करते थे। घाट प्रथा अति महत्वपूर्ण थी और इस प्रथा से जीवन का चक्र सुचारु रूप से संचालित रहता था। उक्त बातों से यह सिद्ध होता है। कि घाट प्रथा नदियों को स्वच्छ रखती थी तथा मनुष्य की मानसिकता को भी स्वच्छ रखती थी। अतः आज अंत की ओर बढ़ रही इस प्रथा को हम सभी को बढ़ावा देना चाहिये ताकि हमारी नदियाँ जो प्रदूषित, जल विहीन, बहाव विहीन और विलुप्त हो रही हैं उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया जा सके।

(2.) हमारे रीति रिवाज और घाटों की महत्वता :- आज भी हमारा देश पुरानी रीतियों और धार्मिक आस्थाओं और परम्पराओं पर आधारित है और ये रीतियाँ एवम् परम्परायें आज भी उसी तरीके से चली आ रही हैं। परन्तु इनका विलोप होना प्रारम्भ हो गया है, हमारी प्राचीन प्रथाओं से घाटों का क्या रिश्ता था वह निम्नानुसार है।

1. घाटों पर मौजूद मंदिर और उनकी विश्वसनीयता।
2. घाटों पर होने वाले पर्व/स्नान एवम् मेले।
3. घाटों पर मरणोपरांत प्रचलित जीवन की प्रथायें।
4. घाटों के ऊपर धार्मिक शाही स्नान एवम् कुम्भों का आयोजन।
5. हमारी नदियों की पवित्रता और उनकी पूजा और आस्था।
6. पवित्र नदी में मरणोपरांत प्रवाहित होने वाली सामग्री।

हमारे यहाँ घाटों पर वर्ष भर मेले और स्नान आयोजित होते हैं। मकरसंक्राति, पोंगल और शरद कालीन एवम् ग्रीष्म कालीन नवरात्रे में जवारे विसर्जित करने से नई फसल के होने का आभास किसानों को होता है। इसके साथ ही गणेश विसर्जन,

दुर्गा जी की मूर्तियाँ विर्सजित होने से नदी में प्रदूषण बढ़ता है ये रस्में घाटों पर होती है। पूर्व में इस प्रचलन में नदी में घुलन शील मिट्टी उपयोग होती थी जो जल को स्वच्छ रखती थी लेकिन आज इस प्रकार की सामग्री उपयोग होती है जिससे प्रदूषण की तीव्रता बढ़ रही है, जिसका नियंत्रण करना अति आवश्यक है।

(3.) नदियों पर बनने वाले बाँधों की उपयोगिता और उसका नदी पर प्रभाव :-

हमारे देश की बड़ी नदियों में छोटी नदियाँ मिलती है और इन नदियों के कई राज्यों से गुजरने के बाद ये समुद्र में समाहित हो जाती है। इन राज्यों में नदी के प्रवाह के अनुसार बाँध बनाये हुये है। जिससे नदी की धारा में विराम लग जाता है और पुनः वर्तमान क्षेत्र के पानी या नदी जुड़ने से पुनः नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। और अगले राज्य में पुनः बाँध निर्माण या नदी से जल दोहन की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। हम इस प्रक्रिया का कोई विरोध नहीं कर रहे है। अंतर राज्यीय नदी विवाद आपस में उलझे हुये हैं। हमारी प्राथमिकता यह है कि नदी में जनसंख्या घनत्व के अनुसार बड़े-बड़े शहरों से जो सीवेज मिलता है। वो नदी के बहाव को दूषित करता है और नदी अपने पुराने रूप को पुनः प्राप्त नहीं कर पाती। आज के नदी के घाट प्रदूषित हो चुके हैं। उनमें यह आवश्यक है कि नदी में मिलने वाले भूमिगत नालियों में बहता मल (सीवेज) के पूरे ट्रीटमेंट (उपचार) करके ही नदी में विसर्जन की व्यवस्था कड़ाई से लागू की जानी चाहिये अन्यथा हमारे सुन्दर घाट वीरान पड़े रह जायेंगे और हमारी जीवन दायिनी नदियाँ या तो नालियों में परिवर्तित हो जायेंगी या अपने अस्तित्व को ही खो बैठेंगी। अंतर राज्यीय विवादों में एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी जोड़ी जानी चाहिए कि जिस राज्य से नदी गुजर रही है, उस राज्य में पानी की गुणवत्ता वही रहे जो उसके उद्गम स्थल पर थी। ऐसा करना जनहित में, राज्यों के हित में और नदियों के जल स्तर को शुद्ध रखने में अति उत्तम फलदायी होगा और हमारी नदियों के घाटों पर फिर वही प्रथायें, परम्परायें जीवित हो जायेंगी जैसे कार्तिक स्नान और भगवान कृष्ण की यमुना किनारे की कथायें पुनः सजीव होंगी। यह प्रथा आज भी पुरे बृज और बुंदेल खण्ड में विराजमान है। आज नदी के घाट नहीं है, लेकिन रस्में तालाबों के किनारें पूरी हो रही है।

(4.) घाट प्रथा और जल के स्रोतों में वृद्धि :-

आज जल के स्तर की परिभाषायें जो सूखा प्रभावित या बाढ़ प्रभावित बनाई गयी हैं, सभी फेल है। प्रत्येक घर में पानी के लिये जमीनी पानी के ऊपर निर्भरता है, ग्रामीण क्षेत्रों में हेण्ड पम्प लगाये गये है, जो कि उतने सफल नहीं सिद्ध हुये हैं। पानी का स्तर

लगातार गिरने से कई हैंड पम्प सूखे पड़े है। लगातार जमीन के पानी का दोहन करने से भूस्खलन होने की आवृत्ती बढ़ी है।

अतः हमारा विकास एक तरफा है, समुचित व सबके लिये सर्वांगीण सर्वव्याप्त विकास नहीं हो सका है। यदि हम उपयुक्त संसाधनों का दोहन सिर्फ अपने निजी जीवन को चमक देने व समाज में अपना रूतबा दिखाने के लिए करते हैं, तो उस से एक गरीब आदमी को एक लोटा पानी तक भी प्राप्त होना दूभर हो जायेगा।

(5.) घाट प्रथा के बढावे को शासकीय सहयोग :- इस प्रथा के माध्यम से नदी को नवीन जीवन और प्रदूषण से आजाद किया जा सकता है। यदि शासकीय समुचित व्यवस्था बनाकर कुछ व्यवस्था में सुधार लाये जायें एवम् उनको कड़ाई से लागू किया जाय एवम् समुचित सहयोग तथा वित्तीय सहायता सदैव मिलती रहे तो इस ढाँचे को विकसित करना पूर्णतः संभव हो जायेगा। जो निम्नानुसार है।

1. पंचायतों के माध्यम से विलुप्त हुई नदी, बावड़ियों को सूची बद्ध करना।
2. सूची बद्ध पानी के स्रोतों को सतत आवश्यकता पूर्ण करने की योजना तैयार करना जो बड़े स्रोत से छोटे स्रोत तक हो।
3. सामाजिक कुरीतियों का सम्पादन पूर्णतः प्रतिबंधित करना।
4. कुंओं बावड़ियों में जल के साथ पूजन सामग्री फेंकने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना।
5. नदियों में तरह-तरह के घाट निर्माण करना और उन पर व्यवस्थायें व्यवस्थित रूप से संचालित करना।
6. कुंओं, बावड़ियों व नदियों के पानी में वर्षा के बाद कीट नाशकों के घोल प्रवाहित करना।
7. उपरोक्त व्यवस्था ग्राम सभा से चुने हुये व्यक्ति के माध्यम से ठेके पर देकर नदी के जल में पैदा होने वाली फसलें पैदा करना व सिंघाड़ा/कमलगड़ा को बढावा देना।
8. अनावश्यक ट्यूब वैल/हैंड पम्पों पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाना।
9. छोटे-छोटे पानी के स्रोतों को पुनः जीवित करने के उपाय करना

(6.) नदियों को जोड़ना और घाट प्रथा का योगदान :-

हमने स्वयं पश्चिमी गंगा नहर में कई जगह पर घाट बने देखे हैं और अपने उद्गम से लेकर आखिरी तक ये घाट बने हुये हैं। कई गाँव और शहरों के लिये ये पानी का एक स्रोत है और जिससे सिंचाई हो रही है।

यदि हमारी नदियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, तो जोड़ नहर के किनारे कई घाटों का निर्माण होगा और ये घाट जोड़ नहर को साफ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे अतः हमें इस प्रयोग को जमीन के ऊपर मूलभूत रूप देना होगा।

नदियों को जोड़ने के अन्तर्गत जब एक शुद्ध पानी से भरी नदी का जल दूसरी नदी के जल से मिलेगा तो ये अवश्य भूमिगत पानी के तल को भी ऊपर लायेगी एवम् सतही जल बढ़ने से नलकूपों की खुदाई भी बंद होगी साथ ही सर्वांगीण सुविधाओं का मूलभूत तरीके से निर्माण होगा। हमारी सभी प्रकार की रीतियाँ और कुरीतियाँ जो मुख्य नदियों के जल को दूषित और प्रदूषित करती हैं, उस पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकेगी।

(7.) नदियों के घाट और उनकी जर्जर स्थिति :-

उक्त परम्पराओं से नदियों का प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा है। इस प्रकार घाट तो गंदे हो ही रहे हैं एवम् नदी का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। हमारे घाट जितने स्वच्छ रहेंगे उतनी ही नदी स्वच्छ रहेगी अतः हमारी पहली प्राथमिकता इन घाटों की स्वच्छता है इससे नदी में प्रदूषित सामग्री नहीं जायेगी तथा हर घाट पर यदि यही व्यवस्था बनाई जायेगी तो नदी की अविरल धारा और स्वच्छता बरकरार रहेगी।

(8.) नदियों के रिवर फ्रंट बनाने की योजना :-

हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की योजना जिसमें साबरमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट आदि अन्य नदियों पर बनाये जा रहे हैं यह भी एक प्रकार से घाट प्रथा को बढ़ावा देना है। जो नदियों को स्वच्छ और पर्यटन को बढ़ावा देगी।

उपसंहार :-

आज के समय में गगन चूमते भवनों में आलीशान नहाने के कमरे बने हैं और न जाने उनमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं जिनका वर्णन करना एक सूरज को दीपक दिखाने जैसी कथा है।

ऐसी बातें अक्सर लोग करते हैं और दूसरे को महज चंद पैसों की चाँदनी की महिमा मंडन करते हैं। आखिर ऐसा करने से हमने क्या पाया ? नदियों के घाटों पर स्नान करने लोग जाते थे तो उनके शरीर का व्यायाम हो जाता था और मानसिक विकृति दूर हो जाती थी शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होने से शरीर के खून में शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाह होती थी जिससे हमारी निर्भरता डॉक्टर पर कम रहती थी और प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ और निरोगी रहता था। आज भी यदि तुलना की जाये तो गाँव का आदमी शहरी आदमी से ज्यादा स्वस्थ और शरीर से पुष्ट है।

अतः निष्कर्ष यही है कि विलुप्त हो रही घाट प्रथा को हमको एक शासकीय नीति बनाकर अपनी नदियों को प्रदूषण मुक्त, जल प्रवाह युक्त और मुनष्पों के उपयोग युक्त रखना अति उत्तम होगा।



“राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।”

महात्मा गांधी

गोदावरी (इंचम्पल्ली/जानमपेट)- कावेरी (ग्रांड अनीकट) लिंक परियोजना

*सियाराम माहोर

जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) :- संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, पूर्व में केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) ने वर्ष 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) का गठन किया गया, जिसमें दो घटक शामिल है, नामतः हिमालयी नदी विकास और प्रायद्वीपीय नदी विकास प्रस्तावित है।

लिंक परियोजना का उद्देश्य :- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत प्रस्तावित लिंक परियोजनाओं में से 9 लिंक प्रणाली द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों में उपयोग हेतु जल का स्थानांतरण किया जाएगा। लिंक परियोजनाओं से संबंधित राज्यों को शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए तीन लिंक परियोजनाओं को समाहित करते हुए गोदावरी (इंचम्पल्ली/जानमपेट)-कावेरी (ग्रांड एनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर बनाना प्रस्तावित किया गया है।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में जल उपयोग के लिए गोदावरी से कावेरी तक 7000 एमसीएम (247 टीएमसी) जल का पथांतरण गोदावरी (इंचम्पल्ली/जानमपेट)-कावेरी (ग्रांड एनीकट) लिंक परियोजना द्वारा किया जाएगा। जून से अक्टूबर तक मानसून के महीनों में 143 दिनों के दौरान लगभग 7000 एमसीएम (247 टीएमसी) जल का अंतरण किया जाएगा। गोदावरी (इंचम्पल्ली/जानमपेट)-कावेरी (ग्रांड एनीकट) लिंक परियोजना की ड्राफ्ट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है तथा डीपीआर मार्च 2019 में संबंधित राज्यों को भेज दी गई है।

लिंक परियोजना का प्रस्ताव एवं परियोजना के मुख्य घटक :- इंचम्पल्ली में अधिशेष जल की गणना करते समय इंद्रावती उप बेसिन में छत्तीसगढ़ की प्रस्तावित बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता के लिए लगभग 2978 एमसीएम जल का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, इंद्रावती उप-बेसिन में छत्तीसगढ़ की प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाले वाष्पीकरण से लगभग 1477 एमसीएम जल हानि का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुछ और साल लगने की संभावना है। इस प्रकार, प्रस्तावित बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 266 एमसीएम रीजनरेशन की विधिवत

कटौती के बाद, जल संतुलन का आकलन करते समय जल उपलब्ध होने का अनुमान किया गया था। तदनुसार अंतर बेसिन जलअंतरण के प्रायद्वीपीय घटक में आयोजन के लिए गोदावरी बेसिन में कुल जल लगभग (5002+2978+1477-266)=9191 एमसीएम (324 टीएमसी) उपलब्ध होगा। हालांकि, पारंपरिक तरीके से, मानसून के मौसम के दौरान लगभग 7000 एसीएम (247 टीएमसी) जल केवल गोदावरी नदी से कृष्णानदी में और उससे आगे दक्षिण में उपयोग के लिए अंतरण प्रस्तावित है।

गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना में निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं।

1. **गोदावरी (इंचम्पल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक**
इस घटक में पुनः तीन और विकल्प शामिल हैं, नामतः
 - क) गोदावरी (जानमपेट)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक (नहर के माध्यम से)
 - ख) गोदावरी (इंचम्पल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक (नहर के माध्यम से)
 - ग) गोदावरी (जानमपेट)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक (पाइपलाइन के माध्यम से)
2. **कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमाशिला) लिंक**
3. **पेन्नार (सोमाशिला)-कावेरी (ग्रांड अनीकट) लिंक**

परियोजना में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण प्रस्तावित है :-

- 1) नहर की लम्बाई प्रस्तावित इंचम्पल्ली बैराज से ग्रांड एनीकट तक 1211 कि.मी., प्रस्तावित नहर के तल (Bed) की चौड़ाई 43.5 मी. से 109.60 मी. के बीच होगी तथा गहराई (Depth) 4.5 मी से 7.0 मी. के बीच होगी।
- 2) पानी को लिफ्ट करने के लिए 7 स्टेज प्रस्तावित है जिसमें सब मिलाकर कुल 129.20 मी., 196.50 मी. की ऊँचाई होगी।
- 3) दो जल विद्युत ग्रह- एक मूसी जलाशय तथा दूसरा नागार्जुनसागर जलाशय
- 4) 5 सुरंग (Tunnels) - कुल लम्बाई 18.52 कि.मी. होगी।

- 5) नहर के टॉप पर सौर (Solar) ऊर्जा पेनल लगाया जाना प्रस्तावित है।
- 6) मौजूदा ग्रांड अनीकट संरचना पर नहर को मिलाया जाना है।

गोदावरी (इंचमपल्ली/जानमपेट)-कावेरी (ग्रांड अनीकट) लिंक परियोजना, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पालार कावेरी बेसिन के बीच स्थित है तथा यह परियोजना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। लिंक नहर संरेखण तेलंगाना के भद्रादि, कोठागुडेम, खम्मम, वारंगल, सूर्यपेट, नलगोंडा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, प्रकासम, नेल्लोर, चित्तूर जिलों और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, परमबलूर और तिरुचिरापल्ली जिलों से होकर गुजरता है। इंचमपल्ली से वैकल्पिक संरेखण गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच जयशंकर भूपालपल्ली, वारंगल और नलगोंडा जिलों से होकर गुजरता है। गोदावरी, कृष्णा नदियों के बीच जानमपेट से नागार्जुनसागर तक की पाइपलाइन संरेखण खम्मम, वारंगल और नलगोंडा जिलों से होकर गुजरती है।

वार्षिक सिंचाई योजना :-

गोदावरी (इंचमपल्ली/जानमपेट)-कावेरी (ग्रांड अनीकट) लिंक परियोजना से तेलंगाना, आंध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में 9.38 लाख हेक्टेयर से 10.09 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई करना प्रस्तावित है। राज्यवार वार्षिक सिंचाई और उसके लिए जल का उपभोग निम्न तालिका में प्रदर्शित है।

राज्य	वार्षिक सिंचाई (हेक्टेयर)			जल उपयोग (एमसीएम)		
	जे-जी	आई-जी	जे-जी पाइप	जे-जी	आई-जी	जे-जी
तेलंगाना	137150	367305	137150	999	1723	999
आंध्रप्रदेश	504256	345271	504256	2711	2004	2711
तमिलनाडु	296746	296746	296746	1898	1899	1898
	938152	1009322	938152	5608	5626	5608

कमान क्षेत्र में तेलंगाना राज्य के भद्रादि, कोठागुडेम, खम्मम, वारंगल, सूर्यपेट, नलगोंडा जिलों, आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर, प्रकासम, नेल्लोर, चित्तूर जिलों और तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, परमबलूर, तिरुचिरापल्ली जिलों को सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी।

घरेलू एवं औद्योगिक जल उपयोग :-

गोदावरी (इंचमपल्ली/जानमपेट)-कावेरी (ग्रांड अनीकट) लिंक परियोजना लिंक द्वारा तीन राज्यों में घरेलू एवं औद्योगिक के लिए उपयोग हेतु 879 एमसीएम की आपूर्ति का प्रावधान रखा गया है। घरेलू जल की आपूर्ति से लगभग 1.05 करोड़ तीनों राज्यों के 17 जिलों की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

ऊर्जा क्षमता (Power Potential) उत्पादन :-

लिंक परियोजना के अंतर्गत 2 जल विद्युत ग्रह, एक मूसी जलाशय से केनाल के लिए तथा दूसरा नागार्जुनसागर जलाशय के पास स्थापित किया जाना है जो 60 मेगावाट के लिए 10-10 मेगावाट की 6 यूनिट तथा 120 मेगावाट के लिए 30-30 मेगावाट की 4 यूनिट क्रमशः होगी। कुल 3660 लाख यूनिट वार्षिक विद्युत का उत्पादन होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त 1210 कि.मी. लम्बी नहर के टोप पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 5371 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे 107410 लाख यूनिट वार्षिक विद्युत का उत्पादन भी होगा।

विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता :- कमान क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए पानी पहुंचाने/चढ़ाने के लिए चार स्थलों पर जल पम्प स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है। पानी चढ़ाने एवं पहुंचाने के लिए 45340 लाख युनिट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी।

परियोजना की अनुमानित लागत एवं लाभ :- गोदावरी (इंचम्पल्ली/जानमपेट)-कावेरी (ग्रांड अनीकट) लिंक परियोजना की लागत 5 मुख्य घटकों में शामिल की गई हैं। वर्ष 2018-19 की कीमत स्तर पर परियोजना के तीनों विकल्प जैसे जानमपेट- ग्रांड अनीकट, इंचम्पल्ली-ग्रांड अनीकट एवं जानमपेट-ग्रांड अनीकट (पाइपलाइन) की कुल लागत रु. 60360.88 करोड़, रु. 73611.44 करोड़ एवं रु. 90562.56 करोड़ क्रमशः का आकलन किया गया है। परियोजना के क्रियावयन करने पर तीनों विकल्पों के लिए वार्षिक लागत रु. 7723.98 करोड़, रु. 9332.18 करोड़ एवं रु. 11252.29 करोड़ तथा वार्षिक लाभ रु. 12342.11 करोड़, रु. 12580.82 करोड़ एवं रु. 12342.11 क्रमशः होने का अनुमान है।

उपरोक्तानुसार इस लिंक परियोजना के तीनों विकल्पों के लाभ-लागत अनुपात 1.60, 1.35 एवं 1.10 तथा परियोजना से आंतरिक वापसी दर 14.6%, 12.6% एवं 10.5% क्रमशः होगी।

योजना से लाभ :-

1. इस परियोजना से कुल 10.09 लाख हेक्टेर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्र में खाद्यान उत्पादन काफी होगा।
2. कमान क्षेत्र में तीनों राज्यों के 17 जिलों की लगभग 1.05 करोड़ जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध होगा।
3. उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन के साथ-साथ सौर ऊर्जा से भी विद्युत का उत्पादन होगा।
4. परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से लोगों को रोजगार तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि होगी तदनुसार क्षेत्र के लोगों के जीवन में भी अभूतपूर्व सुधार होगा।




“भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।”

नरेंद्र मोदी (प्रधान मंत्री)

“भारतीय सभ्यता की अवरिल धारा प्रमुख रूप से हिंदी भाषा से ही जीवंत तथा सुरक्षित रह पाई है।”

अमित शाह (गृह मंत्री)

गोदावरी (इंचमपल्ली/जानमपेट) - कावेरी (ग्रेंड अनीकट) लिंक परियोजना का सूचक मानचित्र



जीवन का संरक्षण-जलवायु का संरक्षण

*साली अरूण गंगाधर

हमारी जलवायु एवं पर्यावरण रक्षण, पोषण व संरक्षण करते हैं, लेकिन हमने ही उनके इस स्वरूप को नहीं समझा। इसके विपरीत भौति-भौति के प्रदूषणों को इनमें घोलते गए और आज स्थिति यह है कि हमारा पर्यावरण, हमारे पंच महाभूत बुरी तरह से प्रदूषण से प्रभावित हैं और हमें भी इससे नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हम इस पर्यावरण में रहते हैं, इन पंचमहाभूतों से ही हमारा शरीर जीवित है।

जलवायु को सबसे पहले प्रभावित किया, बढ़ती जनसंख्या के आवास हेतु वनों-जंगलों की अंधाधुंध कटाई के साथ होने वाले शहरीकरण ने। शहरों में उद्यानों व कारखानों का जो निर्माण हुआ, उनसे लगातार जहरीला धुआँ वातावरण में जाता रहा। इन जगहों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को भूमि में या जल में छोड़ दिया जाता है, जिससे भूमि बंजर होती है और जल प्रदूषित होता है। यदि इन उद्योगों व कारखानों के बजाय लघु कुटीर उद्योग शुरू किए जाएँ तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा और इतना प्रदूषण भी नहीं होगा।

अब तो आसमान भी प्रदूषण से अछूता नहीं रहा है, क्योंकि वहां भी अनगिनत सेटलाइट छोड़े जा रहे हैं जो आकाश तत्व को प्रभावित कर रहे हैं, इस तरह हमारे पंचमहाभूत हमारे ही कृत्यों द्वारा प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं और हमारे जीवन को भी ये बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, जलवायु का संरक्षण करना है तो इसके लिए सबसे पहले उन कारकों को रोकना होगा, जिसके कारण हमारी जलवायु बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और उन कारकों को बढ़ावा देना होगा, जिनके कारण हमारी जलवायु समृद्ध, स्वस्थ व संतुलित होती है।

हमारे पंचमहाभूतों में यदि संतुलन, सामंजस्य है तो इससे हमारा पर्यावरण समृद्ध व स्वस्थ होता है, लेकिन इन पंचमहाभूतों में यदि असंतुलन व प्रदूषण है, तो इससे हमारे पर्यावरण में भौति-भौति के उपद्रव होते हैं आज भूमि, जल, वायु, आकाश व अग्नि-इन पांचों में असंतुलन है और इनमें प्रदूषण तेजी से घुलता जा रहा है। इसी कारण हमारी प्रकृति असंतुलित है। भूमि में प्रदूषण घुलने से भूमि बंजर हो रही है, जर्जर हो रही है। जल में प्रदूषण होने से जल विषाक्त हो रहा है और जल के लगातार दोहन से भू-जल का स्तर भी कम हो रहा है। कारखानों उद्योगों व वाहनों से निरंतर छोड़ी जाने वाली प्रदूषित गैसों के कारण वायु में प्रदूषण घुल रहा है। अग्नि के असंतुलन का परिणाम ग्लोबल है, वातावरण का तापमान

गरमियों में इतना बढ़ जाता कि वनों में भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आयी।

अब उपाय यही है कि खोदी गई खाई को पाटा जाए अन्यथा हम इसी खाई में गिरेंगे और नष्ट हो जाएंगे इसके लिए हमें हरियाली बढ़ानी होगी, वन-जंगलों की संपदा को पुनः समृद्ध करना होगा, जल को प्रदूषण मुक्त करने के उपाय करने होंगे और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के तरीके अपनाने होंगे।

भूमि में लगातार जल स्तर कम हो रहा है। बारिश के मौसम में जहाँ लोग बाढ़ से अतिशीघ्र प्रभावित हो जाते हैं, वहीं सरदी के मौसम की शुरुआत में ही जल संकट की समस्या से जूझने लगते हैं और गरमी का मौसम आने तक यह समस्या और बढ़ी हो जाती है, तो क्यों ना बारिश के मौसम में ही वर्षाजल के संरक्षण के उपाय किए जाएँ। हम इस जल का संग्रह करें इसे विभिन्न उपायों से धरती के गर्भ तक पहुंचाएं, जिससे सूरज की किरणें इस जल को वाष्पीकृत न कर सकें।

जल को सहेजने की प्रक्रिया से भूमि में नमी बनी रहेगी और धरती की प्यास भी इससे बुझेगी और धरती माँ की कृपा भी मिलेगी अर्थात् हरियाली भी बढ़ेगी। यह हरियाली प्रकाश-संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में से कार्बन को अपने अंदर सोख लेती और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करके हमारी जलवायु व पर्यावरण को संतुलित करती है। इससे पर्यावरण सुधरता है और धरती पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व स्वतः कम होने लगते हैं एवं पर्यावरण को समृद्ध करने वाले तत्व बढ़ने लगते हैं।

हमारे पंचमहाभूत आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक से दूसरे तत्व को समृद्ध व संतुलित किया जा सकता है, लेकिन इन पंचमहाभूतों में सबसे प्रमुख तत्व जल है। इसलिए तो कहा गया है, जल ही जीवन है। जल नहीं तो जीवन नहीं। अन्य ग्रहों पर यदि जीवन की तलाश की जाती है, तो वहाँ पर जल की संभावना को ही सबसे पहले तलाश जाता है। जल के समान ही दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व वायु है। इसलिए जलवायु संरक्षण पर आज प्रमुख रूप से ध्यान दिया जा रहा है। वायु के बिना तो जीवन ही असंभव है। वायु में प्रदूषण का अर्थ हमारे जीवन में प्रदूषण से है।

जल से धरती समृद्ध होती है, हरी-भरी होती है और यह हरियाली ही वायु को स्वच्छ करती है, अग्नि की तपन को अवशोषित करती है और वातावरण को सुखद बनाती है।

इसलिए यदि एक पंचभूत तत्व जल पर ध्यान दिया जाए तो मात्र यह तत्व ही अन्य तत्वों को संतुलित करने में सहायक हो जाता है, क्योंकि मूल में जल ही हमारा पर्यावरण है। जब जल स्वस्थ रहता है तो धरती स्वस्थ रहती है, और मानव भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मानव पर्यावरण के विरुद्ध काम नहीं करता।

यदि सामूहिक रूप से प्रयास किए जाएं तो हमारे पर्यावरण को, जलवायु को बचाया जा सकता है। लोगो ने इसके लिए प्रयास भी किए हैं और उल्लेखनीय उदाहरण भी दिए हैं। जैसे राजस्थान में गोपालपुरा गांव के लोगों ने अपने उजड़े वीरान बेपानी गाँव की स्थिति को सुधारा है और समृद्ध किया है। सबसे पहले उस गाँव के लोगों ने गाँव की मिट्टी के कटाव को रोका और पानी को धरती की कोख में पहुँचाया। उजड़ी वीरान धरती में बीज छिटककर तथा वर्षाजल को रोककर नमी पैदा करके साझी जमीन पर जंगल बनाया और वे अपनी निजी जमीन पर खेती करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि चारों तरफ गाँव हरियाली बढ़ गई। इस गाँव की स्थिति देखकर यह कार्य आस-पास के गाँवों में फैल गया। अब स्थिति यह है कि इन इलाकों की सूखी भरी नदियों व कुओं में भी इन उपायों से भू-जल रहने लगा है। अब यहाँ के किसान अकाल में भी अच्छी खेती करते हैं। यहाँ के लोगों ने बस, अपनी जल-उपयोग की दक्षता बढ़ाई है और कम पानी खर्च करके अधिक पैदावार करने का चलन शुरु किया है।

गाँव वालों ने उपाय एक ही अपनाया कि खेती के अनुकूल उन्होंने हरियाली बढ़ाई इसीलिए वहाँ पर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम सुधर गए तथा वहाँ का पर्यावरण संतुलित हो गया वहाँ का तापमान भी कम हो गया। यदि इसी तरह के सामूहिक प्रयास अन्य जगहों पर भी किए जाएँ तो हमारे देश का पर्यावरण और जलवायु अवश्य सुधर जाएँगे।

वर्तमान में मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण संरक्षण की है। पर्यावरण यानी हमारी आबोहवा पर संकट, जलवायु पर संकट। भारत देश में भगवान की पूजा आराधना की जाती है। वास्तव में ये भगवान ही भारत के पंचमहाभूतों को अपने में समेटे हुए हैं। भगवान= भ + ग + व + अ + न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और न से नीर। इन शब्दों में कैसा अद्भुत संयोग है कि पंचमहाभूतों के रूप में भगवान ही हमें अपने आँचल में समेटे हुए हैं।

वर्षा ऋतु स्थूल क्रम में जल वृष्टि तथा सूक्ष्म में पर्जन्य-उर्वरता का प्रवाह लेकर आती है। समझदार मनुष्य प्रकृति के प्रवाह के अनुरूप अपनी व्यवस्थाएं बनाकर उसका समुचित लाभ उठा लेते हैं, जो उसके अनुकूल व्यवस्था नहीं बना पाते, उन्हें लाभ

तो कम मिलते ही हैं, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। स्थूलक्रम में पानी बरसता है। यदि छतों की स्थिति ठीक नहीं हो तो पानी टपकने से या सीलन बैठने से परेशानियाँ होगी ही। यदि सड़कों-नालियों की सफाई ठीक से न हुई सो कीचड़ और जलभराव की समस्याओं को झेलना ही पड़ेगा इसके विपरीत जिनकी तैयारी, ठीक होगी, उन्हें उक्त कठिनाइयों से मुक्ति और वर्षा का आनंद मिलना तय है। इसके अलावा कुओं, तालाबों, पोखरों, में पानी इकट्ठा होने पर लंबे समय तक जल की आपूर्ति कर सकेगा।

सूक्ष्मक्रम में उर्वरता बढ़ती है। खेत तैयार कर लिए जाएँ और समय पर बीज बोये जाएँ, तो फसल का लाभ मिलेगा ही, लेकिन उर्वरता बीजों के साथ खर-खर-पतवारों को भी तो बढ़ा देती है। यदि निराई की व्यवस्था न की जाए खरपतवार को उखाड़ा न जाए तो फसल को हानि तो पहुँचेगी ही। प्रकृति की उर्वरता जहाँ पेड़-पौधों को तेजी से बढ़ाती है, वहाँ वह मच्छर मक्खी, छोटे कीटों को भी बढ़ाती है। जरा-सी गंदगी हुई कि उनके विकास की गति तेज हुई।

यही नहीं, आंख से न दिखने वाले विषाणु-रोगाणु भी वर्षाकाल की उर्वरता का लाभ लेकर तेजी से बढ़ते हैं। जरा-सी चूक हुई कि शरीर में रोगों का प्रकोप बढ़ने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्वरता के वांछनीय प्रभावों को संरक्षित-विकसित करते हुए उसके अवांछनीय प्रभावों को निरस्त करने की व्यवस्था भी निरंतर बनानी पड़ती है। जीवन के सभी आयामों में प्रकृति के प्रवाहों के वांछित प्रभावों को बढ़ाने और अवांछित प्रवाहों को निरस्त करने की साधना आवश्यक हो जाती है।

वर्षा ऋतु का साधनाकाल भी कम उल्लेखनीय नहीं है, वर्षा ऋतु के स्थूल और सूक्ष्म, दोनों तरफ के प्रवाहों के सदुपयोग-सुनियोजन की तत्परता बरतना जरूरी होता है। स्थूलतंत्र के बारे में तो अधिकांश लोग सावधानी बरत लेते हैं, किंतु सूक्ष्म तंत्र पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। हमारे ऋषियों-मुनीयों द्वारा, दोनों ही क्षेत्रों के लिए विवेकपूर्ण रीति-नीतियों के प्रतिपादन और प्रयोगों का ताना-बाना बुना जाता रहा है। उसे समझा जाए और विवेकपूर्वक व्यवहार में लाया जाए तो वर्षाकाल के कुप्रभावों से बचकर सुप्रभावों का पर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है।

भारत के ऋषि-मनीषियों ने प्रकृति को चेतन-सत्ता मानकर उसके साथ तालमेल बैठते हुए जीवनयापन करने के सिद्धांत को बल दिया है। प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्ण सद्व्यवहार की पुण्यपरंपरा के कारण प्रकृति हमारे लिए माँ की तरह पोषण की व्यवस्था तो बनती ही रही जीवन सूत्रों की दिव्य

प्रेरणा भी प्रदान करती रही। इसी कारण भारत देश ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध और संसाधनों की दृष्टि से सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्रकृति की विभिन्न ऋतुएं विभिन्न सूक्ष्म प्रवाहों और स्थूल संसाधनों को लेकर आती है। उन्हें समझकर उनके अनुकूल व्यवस्थाएं बनाकर हम प्रकृति के अनुदानों का श्रेष्ठ उपयोग करके श्री, समृद्धि एवं संतोष के अधिकारी बन सके।

प्राचीन काल में वर्षा ऋतु में उसमें कठिनाई आती थी। इसलिए उन दिनों यात्राक्रम रोककर कल्पवास करने में। सद्विचारों के बीज सत्प्रवृत्तियों के रूप में विकसित हो तो उन्हें वर्षा ऋतु का दिव्य प्रकृति के स्थूल-सूक्ष्म प्रवाहों के साथ प्रकृति में घटने वाली विविध घटनाएँ भी अपने ढंग से बहुत मूल्यवान शिद्धांत प्रदान करती हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में प्रकृति से प्रेरणा लेने की विशेषता रही है। भगवान श्रीराम ने वर्षाकाल में सहज घटित होने वाली घटनाओं से संबद्ध प्रेरणाओं का सुंदर बोध भाई लक्ष्मण को कराया है। उनका अध्ययन करके जीवन-साधना के महत्वपूर्ण सूत्रों को हृदयंगम कर सकते हैं।

भूमि परत भा ढाबर पानी।

जनु जीवहि माया लपटानी।।

वर्षा जल शुद्ध स्रावित जल होता है। बादल से बूंदे अपने उसी शुद्ध रूप में झरती हैं भूमि के संपर्क में आते ही वे मैली हो जाती है। यदि जल स्थिर हो जाए तो उसमें मिली हुई मिट्टी आदि के कण नीचे बैठ जाते हैं और जल सहज शुद्ध हो जाता है। वर्षा का पानी सब ओर से सिमटकर तालाबों में एक जगह एकत्र हो जाता है। छोटी नदियाँ-नाले, थोड़ी वर्षा से ही उफन कर इतराते हुए बहने लगते हैं, हरियाली से सजी भूमि उसी तरह शोभा दे रही है प्रकृति के व्यक्ति अपनी संपत्ति को छिपाकर रखते हैं। जैसे धरती ने अपनी उर्वरता और हरियाली के रूप में कर दिया है।

छुद्र नदी भरि चलों तोराई।

जस योरे हूँ धन खल इतराई।।

चतुर किसान फसल की निराई करते हैं, वर्षाकाल को प्रकृति में सहज घटित होने वाली घटनाओं से शिक्षण लेने की दृष्टि विकसित कर लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। वर्षा-ऋतु में समाहित जीवन को अवश्य ग्रहण करना चाहिए।



“हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।”

मदन मोहन मालवीय

“हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है।”

पुरुषोत्तम दास टंडन

जल संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन

*रामकिशन

भारत अपने जल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और इसके संचालन और रख-रखाव की लागत को पूरा करने के लिए बढ़ते वित्तीय संकट से जूझ रहा है। दूसरी ओर, अपर्याप्त संस्थागत सुधार और प्रभावी कार्यान्वयन ने इसके प्रदर्शन स्तर को प्रभावित किया है। हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने जल प्रबंधन क्षेत्र के निवेश और प्रबंधन में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें शामिल हैं : त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जल विज्ञान परियोजना, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण की स्थापना, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय मरम्मत, नवीनीकरण और जल निकायों की बहाली सीधे कृषि, बाढ़ प्रबंधन और नदी बेसिन संगठनों से जुड़ी है। पानी की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए जल संरक्षण के संबंध में उचित कदम उठाना बहुत आवश्यक है।

प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में बढ़ती मांग, सूखा पानी की गुणवत्ता, विशेष रूप से भूजल की और बिना बाढ़ के, अंतर-राज्यीय नदी विवाद, बढ़ते वित्तीय संकट, अपर्याप्त संस्थागत सुधार और प्रवर्तन आदि देश के जल क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता अपर्याप्त है। गंभीर जल की कमी से पहले से ही उपयोगकर्ताओं (कृषि, उद्योग, घरेलू) अंतरराज्यीय और अंतर राज्य के बीच संघर्षों की संख्या बढ़ रही है। उभरती चुनौतियों में मौजूदा बुनियादी ढांचे और जल संसाधन का प्रबंधन शामिल है। भारत में जल सुधार ज्यादातर उन साधनों के बजाय संगठनात्मक मुद्दों पर केंद्रित है जो नियामक और उपयोगकर्ता के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं।

भारत में नहर सिंचाई और जल आपूर्ति सेवाओं का प्रावधान काफी हद तक सरकारी एजेंसियों के पास है। सभी स्तरों पर लागू जल पात्रता की अनुपस्थिति, सेवा की कमियों, पानी के उपयोग की अक्षमता, भूजल निष्कर्षण, पारंपरिक और कम लागत वाले जल निकायों की लापरवाही, वित्तीय समस्याओं और संघर्षों की जड़ में है, जो जल क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। खराब पानी की आपूर्ति सेवाओं का सामना करते हुए, किसानों और शहरी निवासियों ने भूजल को पंप करके खुद की मदद करने का सहारा लिया है, जिसके कारण तेजी से पानी की तालिकाओं में गिरावट आई है। तटीय क्षेत्रों में इस प्रवृत्ति ने लवणता को प्रभावित किया है। वित्तीय संकट के कारण भी रख-रखाव में भारी गिरावट आई है और इसके परिणाम स्वरूप सिंचाई परियोजनाओं का प्रदर्शन स्तर अपर्याप्त है।

हमारे देश में कुल उपयोग योग्य जल संसाधन का आकलन 1123 बीसीएम (billion cubic meter) के रूप में किया जाता है। भूजल के 433 बीसीएम में से लगभग 71 बीसीएम प्रति वर्ष का प्रावधान रखते हुए, सिंचाई के लिए 362 बीसीएम प्रति वर्ष संसाधन उपलब्ध होने का अनुमान है। सिंचाई के लिए भूजल का शुद्ध मसौदा लगभग 150 बीसीएम प्रति वर्ष है। राष्ट्रीय स्तर पर पानी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 1951 में लगभग 5177 घन मीटर cubic meter से कम हो गई है, 2001 में 1820 घन मीटर के अनुमानित स्तर के साथ विभिन्न नदी घाटियों में पानी की उपलब्धता में भिन्नता है। वर्ष 2025 तक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए, प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 1000 घन मीटर से नीचे जाने की संभावना है, जिसे पानी की कमी (Government of India, 2006) की स्थिति, के रूप में लेबल किया जा सकता है। भारत में वर्षा का अत्यधिक मौसमी पैटर्न है, जिसमें केवल 15 दिनों में 50% वर्षा होती है और केवल चार महीनों में 90% से अधिक नदी का प्रवाह होता है। देश में प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 212.78 बीसीएम की कुल भंडारण क्षमता बनाई गई है। निर्माणाधीन परियोजनाएं अतिरिक्त 76.26 बीसीएम में योगदान देंगी, जबकि विचाराधीन परियोजनाओं से अपेक्षित योगदान 107.54 बीसीएम है। 2005 के मानसून (Government of India, 2006) के अंत में 76 प्रमुख जलाशयों में पानी की कुल उपलब्धता 109.77 बीसीएम थी। पानी की अंतर-बेसिन साझाकरण के बिना और अंतर-बेसिन साझाकरण के साथ 175 एम एच ए के बिना देश की सिंचाई क्षमता लगभग 139.9 मिलियन हैक्टेयर अनुमानित की गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि अधिशेष मानसून अपवाह के माध्यम से 45 के क्षेत्र में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण कर के लगभग 36 बीसीएम भूजल उपलब्धता को बढ़ाना संभव है। इस प्रकार, भूजल उपलब्धता में लगातार वृद्धि हो सकती है। पानी की मांग पर हाल के अनुमान (Government of India, 2006) जल संसाधन मंत्रालय (Ministry of Water Resources) की स्थायी उप-समिति और एकीकृत जल संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय आयोग द्वारा किये गये हैं उनके अनुमान वर्ष 2050 तक लगाए गए हैं। दोनों ने समस्या की तीव्रता पर चेतावनी की घंटी बजाई है। जल संसाधन मंत्रालय के अनुमानों से संकेत मिलता है कि 2050 तक, भारत को उद्योगों को 5 गुना अधिक पानी की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, और ऊर्जा उत्पादन के लिए 16 गुना

अधिक है, जब कि इसकी पीने के पानी की मांग दो गुनी हो जाएगी, और सिंचाई की मांग 50 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

देश के सतत विकास के लिए हमारी सरकार को पानी की आपूर्ति के पर्याप्त प्रबंधन पर उचित जोर देना चाहिए। लगभग सभी देशों में जल आपूर्ति पर जल वायु परिवर्तन का प्रभाव नकारात्मक होगा। इस प्रकार देखभाल की जानी चाहिए कि ऊर्जा कुशल वैकल्पिक प्रणालियों का नवाचार किया जाए। कुशल प्रथाओं के लिए, पानी की खपत को कच्चे पानी के उपयोग, बागवानी और भूनिर्माण के लिए पुनर्नवीकरण पानी द्वारा सीमित किया जा सकता है। भारत में कारखानों में मलजल प्रक्रिया संयंत्र के पानी का इस्तेमाल भूनिर्माण और बागवानी के लिए किया जाता है। हालांकि, विकासशील देशों में मुख्य चुनौती सभी शहरी निवासियों को स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना है। वर्षा जल संचयन में आंशिक रूप से जल आपूर्ति के प्रबंधन की संभावनाएं हैं। झीलों, तालाबों जैसे पुराने जल स्रोतों का संरक्षण, वृद्धि और स्थायी जल आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। इसे भारत में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत एक वैकल्पिक सुधार के रूप में माना गया है।

जल प्रबंधन जल संसाधनों के ईष्टतम उपयोग की योजना, विकास, वितरण और प्रबंधन की गतिविधि है। पानी एक बुनियादी आवश्यकता है। कोई भी जीवित प्राणी पानी के बिना नहीं रह सकता है। इस कमी से बचने के लिए, पानी को बचाया और कुशलता से प्रबंधित किया जाता है।

कुशल जल संसाधन उपयोग के लिए राष्ट्रीय आधार पर अच्छे सांकेतिक दीर्घकालिक नियोजना की आवश्यकता होती है। इसका कारण अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय संसाधन के स्थायी शोषण के लिए निवेश पर रिटर्न को अधिकतम करने के लिए विभिन्न जलीय प्रणाली को एकीकृत करके प्रस्तुत की जाने वाली क्षमता है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर जल बेसिन स्तर पर, स्थानीय, नगर पालिका या सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत आपूर्तिकर्ता और उपयोगकर्ता स्तर पर योजना की आवश्यकता होती है।

नदी बेसिन स्तर पर योजना :- एक नदी बेसिन के लिए जल विज्ञान संबंधी योजनाएं, हालांकि, अधिक सामान्य हैं। वे सामान्य ढांचे को बनाने और अद्यतन करने के लिए एक आधार प्रदान कर सकते हैं जिसके भीतर विशिष्ट आवंटन तंत्र को तैयार किया जाना चाहिए और पानी के पहुंच के अधिकारों

को विनियमित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। एक प्रभावी नदी बेसिन योजना में शामिल होने वाले घटक होंगे।

1. संसाधन और उनके भौगोलिक स्थानों के अंतिम उपयोग कर्ताओं की व्यापक श्रेणियों की पहचान
2. प्रमुख अपेक्षित जल विकास की सामान्य विशेषताएं
3. पानी के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत
4. सरकार के विभिन्न स्तरों की अलग-अलग भूमि मालिकों, और सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र के जल उद्यमों की संबंधित भूमि विकास हित संसाधन के उपयोग का सामान्य संस्थागत ढांचा।

समेकित योजना और भूतल जल और भूजल का उपयोग :- भारत के औसत वार्षिक का लगभग 28 प्रतिशत वर्षा उपयोगी है, लेकिन वर्तमान में केवल लगभग 16 प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है पानी के सदुपयोग के लिए रणनीतियों को अपनाने की जरूरत है।

पानी को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक कार्य योजनाएं अपनाई जा सकती हैं:

1. भूतल जल और भूजल को योजना, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए एक सामान्य संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए। विशेष रूप से शहरी बस्तियों में और उसके आसपास जल निकाय के कार्याकल्प को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. मिट्टी की नमी को बढ़ाने, तलछट की पैदावार को कम करने और समग्र भूमि और जल उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एकीकृत जल विभाजक विकास गतिविधियों की आवश्यकता है।
3. भूजल संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता का आकलन करने और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए जलवाही स्तर को व्यवस्थित रूप से मैप करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत के और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को संयुक्त रूप से अपने क्षेत्र के मौसम के कार्यक्रमों को पूरा करने और एक सामान्य स्थानिक डेटा बेस विकसित करने की आवश्यकता है।

4. सिंचाई के दौरान पानी की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए जिन तरीकों को प्रचारित करने की आवश्यकता है उनमें प्राकृतिक संसाधन बंदोबस्ती, सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर, स्वचालित सिंचाई संचालन और वाष्पीकरण की कमी को शामिल जरूरी है।
5. सतही जल और भूमिगत जल के संयोजी उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
6. पानी के विकास की क्षमता बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर लघु सिंचाई, छोटे तालाबों, खेत तालाबों, कृषि और इंजीनियरिंग विधियों के माध्यम से सिंचाई करना बहुत उपयोगी होगा।
7. भूजल निष्कर्षक और लिफ्ट सिंचाई में कृषि में उपयोग के लिए उचित ऊर्जा मूल्य निर्धारण द्वारा जल उपयोग दक्षता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
8. औद्योगिक क्षेत्र में संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रबंधन करने के लिए विशेष प्रकार के उद्योगों के लिए जललेखा परीक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
9. शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जहां संभव हो, वर्षा जलसंचयन और अलवणीकरण को उपयोगी जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विज्ञान और टेक्नोक्रेट की भूमिका :- विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी विकास दुनिया के जल समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक है। विज्ञान जिस पर वर्तमान और भविष्य की वैश्विक जल समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वह किसी एक अनुशासन के दायरे में नहीं आता है, बल्कि वास्तव में बहुविषयक और स्वाभाविक रूप से अंतः विषय है। यह मौलिक भौतिक और जैविक विज्ञान के साथ-साथ उन विज्ञानों के अनुप्रयोगों और इंजीनियरिंग विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूविज्ञान से पर्याप्त योगदान का प्रतीक है। जल संसाधनों के ईष्टतम उपयोग को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने पानी का कुशलता से उपयोग करने के लिए बेहतर रणनीति लागू की है। बेहतर रणनीति लागू करने वाले राज्यों के कुछ उदाहरणों पर चर्चा की जाती है।

नागपुर ऑरेंज सिटी जल परियोजना :- नागपुर ऑरेंज सिटी जल परियोजना जो नागपुर में स्थित है, एक उदाहरण है जिसने पानी कनेक्शन की सुंदर तकनीक को लागू किया है। नागपुर नगर निगम ने इस योजना को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस परियोजना का उद्देश्य निर्मल जल से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। शहर द्वारा आपूर्ति किए जा रहे कुल 575 एमएलडी (Million Litre per Day) पानी में से, 175 एमएलडी का भुगतान गैर-अस्तित्व और बेकार पानी के मीटरों के कारण किया जा रहा था। इरेटिक वाटर सप्लाई (8-10 घंटे प्रतिदिन) और टैंकर माफिया भी समस्या में शामिल हो गए। इन नुकसानों को दूर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत धन के साथ एनएमसी ने नहरों की पानी की आपूर्ति को पाइपलाइनों से बदल दिया। इसके अलावा, कानन नदी में उपचार क्षमता 120 एमएलडी से 240 एमएलडी तक बढ़ गई थी। जब एनएमसी ने शहर में 24x7 पानी की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया और ऑरेंज सिटी वाटर प्राइवेट के माध्यम से ओनस (Onus) को वोलिया-विश्वराज संघ में स्थानांतरित कर दिया गया। शुल्क बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तय किए जाते हैं और संग्रह सहायता संघ द्वारा किए जाते हैं। यह 25 वर्षों के लिए ओ एंड एम अनुबंध के साथ सिस्टम को संचालित और रखरखाव करता है।

ऑरेंज सिटी वाटर प्राइवेट लिमिटेड (OCWPL) ने पानी की आपूर्ति को संभाल लिया है और 4501 पाइपलाइन कनेक्शन के साथ 321,000 कनेक्शनों में से 85000 को बदल दिया है। पुनर्वास चरण के दौरान 100,000 के करीब अनधिकृत कनेक्शनों की पहचान की गई है और एनएमसी राजस्व में सुधार के साथ वाणिज्यिक नुकसान कम हुआ है। सेवा वितरण के मुद्दों को बुनियादी ढांचे में वृद्धि और उन्नत सेवा जलाशयों की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से निपटाया जा रहा है। 24x7 पानी की आपूर्ति ने नागपुर के निवासियों के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। चौबीसों घंटे कॉल सेंटर और बिल भुगतान के माध्यम से संबोधित शिकायतों को ऑरेंज सिटी वाटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित (Kiosk) के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है।

भुंगरू-भूजल इंजेक्शन कुंआ (गुजरात) :- 'भुंगरू' एक जल प्रबंधन प्रणाली है जो भूमिगत जल के अतिरिक्त वर्षा जल को इंजेक्ट और संग्रहीत करती है। इस पानी का उपयोग

ग्रीष्मकाल के दौरान सिंचाई के लिए किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए जिला जल प्रबंधन एजेंसी के भूजल विभाग और भूवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिरोध सर्वेक्षण के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित साइटों पर हस्तक्षेप किया गया था। डिजाइन और अनुमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में उपयोगकर्ता समूहों के साथ किया गया था। 2 करोड़ लीटर की कुल क्षमता के साथ 25 से 110 फीट के बीच तीन स्तरों पर उप-सतह भंडारण के साथ एक इकाई की स्थापना जैसे कदम को लागू किया गया था। किसानों को भुंगरु की स्थापना का प्रशिक्षण दिया गया। पाईजोमीटर की स्थापना दिन-प्रतिदिन के आधार पर जल स्तर की निगरानी के लिए की गई थी।

भूमिगत जल जलाशयों में वर्षा जल जोड़ कर कृत्रिम रीचार्ज के माध्यम से किसान समुदायों को साल के आधे से अधिक समय तक खेती जारी रखने में सक्षम बनाता है। गैर-खारा वर्षा जल जब भूमिगत खारे पानी के साथ मिश्रित होता है, तो भूजल की लवणता कम हो जाती है, जिससे यह कृषि उपोग के लायक हो जाता है।

बिरखा बावरी, जोधपुर :- उम्मेद हेरिटेज कार्यस्थल एक निजी टाउनशिप है जो राजस्थान के जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस के दक्षिण-पूर्व में है और पानी की भारी कमी से जूझ रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए, आवास परिसर के अंदर एक वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित कि गयी थी। बिरखा बावरी संरचना के रूप में इस क्षेत्र में पारंपरिक कदम कुओं से प्रेरणा लेती है और कार्यस्थल जलग्रहण क्षेत्र से वर्षा जल को संग्रह करने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्षा जल के भंडारण और संरक्षण के अलावा, परियोजना आवास परिसर में स्थायी तूफान जल प्रबंधन पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि यह अपवाह एकत्र करता है और क्षेत्र में जल भराव को कम करता है। बारिश का पानी खुले क्षेत्रों से प्राकृतिक ढलानों के साथ-साथ जल निकासी नाली के माध्यम से जुड़े घर की छत के ऊपर से एकत्र किया जाता है। पानी भूमिगत लम्बवत अध्ययन भंडारण संरचना के दोनों ओर से प्रवेश करता है और सालाना 17.5 मिलियन लीटर वर्षा जल को धारण करता है और

परिदृश्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करता है। टैंक की गहरी गहराई (18 मीटर) पानी को छाया प्रदान करती है और वाष्पीकरण के नुकसान को कम करती है। संरचना में संग्रहीत पानी का उपयोग निवासियों को जल कमी की अवधि के दौरान और बागवानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है।

इस प्रणाली ने नगरपालिका जल आपूर्ति और भूजल निष्कर्षण पर निर्भरता को 50% तक कम कर दिया है। पानी के टैंकों के उपयोग में कमी जैसे आर्थिक लाभ के कारण सालाना 2.36 करोड़ रुपये की बचत हुई है। संरचना ने अच्छे वास्तुशिल्प रचना के परिपूर्ण संयोजन का प्रदर्शन करके परिसर की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि की है और अच्छी तरह से बनाए हुए हरे-भरे स्थानों को बनाए रखा है। कुल मिलाकर नगरपालिका की तूफान जल संरचना पर निर्भरता कम हो गई है और जल जमाव नियंत्रित हो गया है। परियोजना स्थल को हरित भू-भाग प्रदान करती है, जो बेहद टिकाऊ है। कुछ उपलब्धियां सराहनीय है जैसे कि,

हर खेत को पानी - चित्तूर, आंध्र प्रदेश :- 'हर खेत को पानी', कार्यक्रम के तहत टैंकों की श्रृंखला में सभी घटकों की व्यापक मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली, नव गठित 610 और 1383 समुदाय आधारित संगठनों के व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से किया गया था। राज्य कार्यक्रम "नीरू प्रगति" भी लागू किया गया था और पाठ्यक्रम के दौरान लाभकारी परिणाम देखे गए थे। जीआईएक आधारित प्रौद्योगिकियों को लागू करने से परिसंपत्तियों की भू-टैगिंग जैसी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कई जल संचयन संरचना बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अन्य चरणों जैसे कि सौर पंपिंग विधियों को शामिल करना, ड्रिप और स्प्रिंकलर माइक्रो - सिंचाई की सिंचाई की तकनीक और आधुनिक दिन कृषि के कई अन्य स्थायी तरीकों को भी बढ़ावा दिया गया जोकि जल संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है।



जल है तो कल है

*राधा

भूमिका :- प्यास लगने पर ही पानी की कीमत का अहसास होता है। कोई विकल्प नहीं है इस प्राकृतिक संसाधन का। अमृत



भी प्यासे का गला तर करने की सामर्थ्य नहीं रखता। ऐसे अनमोल प्राकृतिक संसाधन पानी की किल्लत अगर बारहमासी बन चुकी है तो इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं, हम सब पानी का अपव्यय करते हैं। हमारे दिलोदिमाग में यही बात घर कर गई है कि अकेले हमारे बचाने से क्या होगा? उस समय हम भूल जाते हैं कि बूंद-बूंद से ही सागर बनता है और अच्छी शुरुआत कहीं से और किसी से भी हो सकती है।

वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में सरकारी प्रयास :- देश में वर्षा जल संचयन के लिए कृत्रिम संरचनाएं तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने इसके लिए मास्टर योजना तैयार की है। इसके तहत 79,178 करोड़ रुपये से ग्रामीण इलाकों में 23 लाख और शहरी इलाकों में 88 लाख ऐसे संरचनाएं तैयार करने की योजना है। इसकी घोषणा पिछले साल हुई और 2018 में इनके निर्माण में बेहतर प्रगति हो सकती है।

रंग लाएंगे अहम आदेश :- पिछले साल गंगा और यमुना को बढ़ते प्रदूषण से बचाने और जल संरक्षण के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा किनारे बसे हरिद्वार और ऋषिकेश से लेकर उत्तरकाशी तक के शहरों और कस्बों में प्लास्टिक की थैलियों तथा प्लास्टिक से ही बने कप, प्लेट, गिलास व चम्मच पर प्रतिबंध लगाया। इन डिस्पोजेबल आइटमों के प्रयोग, उत्पादन, बिक्री एवं भंडारण को दंडनीय बनाया।

साथ ही हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा किनारे सौ मीटर तक के क्षेत्र को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया। गंगा किनारे से



पांच सौ मीटर की दूरी तक कूड़ा निस्तारण पर भी रोक लगाई। 2018 में इस आदेश के क्रियान्वयन से बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं।

नमामि गंगे योजना :- 2,525 किमी लंबी गंगा को निर्मल और अविरल करने के लिए मोदी सरकार ने 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए। मार्च 2017 तक इसके तहत 7,304.64 करोड़ रुपये खर्च किए



जा चुके हैं।

- सौ करोड़ रुपये से केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली में घाटों का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाना है। 2020 तक इसका लक्ष्य है। इससे नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, सफाई योजनाएं, जल प्रदूषण से निपटने जैसे कार्य किए जाने हैं।

- सरकार ने 2016 में सात राज्यों में पहले चरण का 231 परियोजनाओं के साथ शुभारंभ किया। अक्टूबर, 2017 में सरकार ने सात सौ करोड़ की आठ योजनाएं भी स्वीकृत कर ली हैं। सभी योजनाएं 2018 में पूरी होने की संभावना है। 2018 में दूसरा चरण भी परवान चढ़ सकता है।
- दिसंबर, 2017 में गंगा ग्राम योजना का शुभारंभ कर दिया है। इसके जरिये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में चिह्नित किए गए 1,674 ग्राम पंचायतों में शौचालयों का निर्माण होना है। 578 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने 24 गांवों की पहचान की है, जिन्हें 'गंगा ग्राम' बनाने के लिए पायलट परियोजना के तहत लिया जाएगा।

राष्ट्रीय जल अभियान :- जल संरक्षण, लोगों को इसके लिए जागरूक करने, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और जल के कुशलतम इस्तेमाल को 20 फीसद तक बढ़ाना, इसका मकसद है। इस साल इस अभियान के अंतर्गत 20 फीसद जल संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी साल इसके और आगे



बढ़ने के भी आसार हैं।

अटल भूजल योजना :- पिछले साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि सरकार देश में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना पर काम कर रही है। 2018 में इसकी शुरुआत हो सकती है। इसके लिए करीब छह हजार करोड़ रुपये के बजट की तैयारी है। सरकार इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए विश्व बैंक से भी बातचीत कर रही है। इसके तहत देश में भूजल संरक्षण को लेकर कई प्रोजेक्ट बनाए जाने हैं। साथ ही लोगों को जागरूक भी करने की मुहिम इसमें शामिल होगी।



भूजल बचाओ :-

- सरकार द्वारा देश भर में भूजल के बारे में अधिक जानकारी जुटाने और उसे बचाने के लिए नेशनल एक्विफर मैनेजमेंट परियोजना चलाई जा रही है।
- यह हेलीबोर्न जियोफिजिकल सर्वे सिस्टम पर आधारित है। इस तकनीक वाला भारत सातवां देश है।
- पहले चरण में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना शामिल हैं। यहां भूजल की स्थिति काफी खराब है। वहीं बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के छह स्थानों में मैपिंग हो चुकी है।
- 2017-2022 के बीच इसके तहत 14 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में मैपिंग किए जाने का लक्ष्य है।

जल प्रबंधन पर यूनेस्को रिपोर्ट :- रिपोर्ट के मुताबिक जल संकट के लिये वनों की तेजी से होती हुई कटाई को उत्तरदायी ठहराते हुए बताया है कि वनों की कटाई के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाने के फलस्वरूप कृषि योग्य दस प्रतिशत जमीन बंजर हो जाएगी तथा विश्व की आधे से अधिक आबादी पानी की कमी से प्रभावित होगी। इस रिपोर्ट में यह भी चौंकाने वाले तथ्य उजागर किये गये हैं की तीस साल बाद मध्यपूर्वी देशों में 95 प्रतिशत लोग पेयजल की किल्लत का सामना करेंगे। यही नहीं, भूमिगत जलस्तर के तेजी से कम होने पर परिस्थिति के असंतुलन का खतरा भी मंडराने लगा है। भूजल की कमी से पृथ्वी की परतों में हवा का दबाव बढ़ जाने से भूकम्प की सम्भावना काफी बढ़ जाती है। आजकल बढ़ते भूकम्पों की संख्या इस तथ्य को तर्कसंगत सिद्ध कर रही हैं। इसके अतिरिक्त घटते भूजल के कारण विभिन्न राज्यों, प्रदेशों व क्षेत्रवासियों के मध्य तनाव, संघर्ष व स्वहित की संकीर्ण भावनाएं

निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिससे मानवीय मूल्यों व संवेदनाओं में गिरावट आती है। यूनेस्को ने मार्च 2006 में प्रकाशित रिपोर्ट में प्रबंधन सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों को शामिल किया है।

रिपोर्ट ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं-

- जल की कमी, जल की कमी के कारण नहीं बल्कि अपर्याप्त आपूर्ति के कारण।
- जल समस्या का समाधान बेहतर साधन में निहित।
- जल समस्याओं और चुनौतियों पर समग्र रूप से ध्यान दिया जाए।
- जल सम्बन्धी आँकड़े विश्वसनीय होने चाहिए।
- जल क्षेत्र में और अधिक निवेश की जरूरत है।
- अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है।
- सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के लिये अन्तरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

जल संरक्षण हेतु किये जाने वाले प्रयास :- आज विश्व में तेल के लिये युद्ध हो रहा है, भविष्य में जल के लिये युद्ध नहीं हो, इसके लिये हमें अभी से सजग, सतर्क व जागरूक रहते हुए जल संरक्षण व प्रबंधन की प्रभावी नीति बनाकर उसे क्रियान्वित करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन-शैली व प्राथमिकताएँ इस प्रकार निर्धारित करनी होंगी ताकि अमृत रूपी जल की एक भी बूँद व्यर्थ न हो।

जल संकट की समस्या भविष्य में विकराल रूप धारण कर लेंगी। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें इस समस्या का निराकरण करने हेतु अभी से सतत व प्रभावी प्रयास करने होंगे। मनुष्य सोना, चाँदी व पेट्रोलियम के बिना जीवन जी सकता है किंतु पानी के बिना जीवन असम्भव है, इसलिये यह समय की माँग है कि जल का उपयोग विवेकपूर्ण, संतुलित व नियमित ढंग से हो। इस सर्वव्यापी समस्या के निदान हेतु हमें निम्न बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा :-

- जल संरक्षण व बचत का संस्कार समाज में हर व्यक्ति को बचपन से ही दिया जाना चाहिए।
- भूमिगत जल के अविवेकपूर्ण व अनियंत्रित दोहन व नलकूपों के गहरीकरण पर प्रभावी रोक लगानी चाहिए। नये ट्यूबवेलों की खुदाई करने से पूर्व सरकार से अनुमति अवश्य ली जानी चाहिए।

- भूजल के संवर्धन व संरक्षण हेतु सुव्यवस्थित वर्षाजल-संचयन प्रणाली विकसित की जाये। वर्षाजल के संग्रहण हेतु घर व स्कूलों में ही टॉके, कुंड व भू-गर्भ टैंक वगैरह निर्मित करने की नीति क्रियान्वित की जाये। परम्परागत जलस्रोत कुएँ, बावड़ी, तालाब, जोहड़ आदि की तलहटी में जमे गाद को निकलवाने के कार्य को प्राथमिकता दी जाये व साथ ही इनके पुनरुद्धार की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाये ताकि ये मृतप्राय जलस्रोत पुनर्जीवित होकर वर्षा के जल को संग्रहित व संरक्षित कर सके।
- जल प्रबंधन, जल संरक्षण व जल की बचत आदि कार्यक्रमों को जन जागरण व जन आंदोलन के रूप में चलाया जाए। गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों व महाविद्यालयों आदि को भी विचार, गोष्ठी, सेमीनार, व रैलियों के माध्यम से जल संरक्षण चेतना जागृत करनी चाहिए। ताकि जल का अनुकूलतम उपयोग सम्भव हो सके। वनों की कटाई को रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए व साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कठोर कदम उठाने चाहिए।
- घरों में विद्युत मीटर की भाँति जल मीटर लगाया जाए ताकि जल उपयोग की मात्रा के अनुरूप ही शुल्क निर्धारित किये जा सकें।
- आज कृषि क्षेत्र जल का सर्वाधिक उपयोग करता है इसलिये यह आवश्यक है कि कृषि में पानी के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिये ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था व वैज्ञानिक कृषि सिंचाई प्रणाली को प्रेरित किया जाए।

निष्कर्ष :- पानी सहेजने के कुछ छोटे और खरे उपाय जैसे स्थानीय पारंपरिक जलस्रोतों को संरक्षित करने, बरसाती पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने, नदी-नालों के छोटे बांध और तालाब बनाने आदि में अब समाज और सरकार दोनों की दिलचस्पी खत्म हो गई है। जन कामों को अब अनावश्यक माना जाने लगा है। समाज को हमने कभी जल साक्षर नहीं बनाया। नई पीढ़ी के लोगों का पानी के मामले में ज्ञान बहुत थोड़ा और सतही है। उन्हें नए समय की तकनीकों और किताबी ज्ञान का बोध तो है, पर जीवन के लिए सबसे जरूरी पानी के इस्तेमाल और इस बारे में जरूरी जानकारी नहीं है। मसलन, पानी कहाँ जाता है, बरसाती पानी को कैसे सहेजा जा सकता है, नदियों

और तालाबों के खत्म होते जाने के दुष्परिणाम क्या होंगे, इनके मनमाने दोहन का क्या असर पड़ेगा आदि। हमें इन मुद्दों पर समझ बढ़ानी होगी। जल-जंगल और जमीन के आपसी संबंधों को समझने की नए सिरे से कोशिश करनी होगी। अकेले बड़ी लागत की योजनाएं बना लेने या पानी के लिए हमेशा नदियों और जमीनी पानी पर निर्भर रहने भर से जल संकट का निदान संभव नहीं है। जल है तो कल है यह बात हम सभी को समझ में जब तक नहीं आयेगा तब तक हम इसकी समस्या से निजात नहीं पा सकेंगे।



“हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।”

डॉ. सम्पूर्णानन्द

“भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी”

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

नदियों को जोड़ने की चुनौतियां

*रीता कश्यप

नदियों को जोड़ना कितना सही?



भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि मानसून पर आश्रित है। गहराते जल संकट और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हम मानसून की अनियमितता से सबसे अधिक पीड़ित हैं और हमें अपनी जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपनी संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना न केवल जल संरक्षण परियोजनाओं की एक श्रृंखला है अपितु जल संकट का निवारण भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में नदी जोड़ परियोजना को क्रियान्वित करने के पक्ष में दिए गए स्पष्ट निर्णय से यह दावा और भी प्रबल हो जाता है।

प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और बदलते जलवायु के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जल संसाधनों की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। भारत की जल नीति के संदर्भ में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट यह कहती है कि भारत को अक्षम जल आपूर्ति सेवाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि किसानों और शहरी निवासियों को स्वयं के उपभोग हेतु नलकूपों के माध्यम से भूजल की पम्पिंग करनी पड़ रही है। इन कारणों से अनेक स्थानों पर भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है और जलभृत (Aquifers) भी समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी का प्रावधान तथा किसानों को मुफ्त बिजली की व्यवस्था इस भूजल समस्या को हल करने के बजाय और बढ़ा रही है। भारत में जल संकट

और भी गंभीर समस्या होती जा रही है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जल एक स्थानीय एवं असीमित संसाधन नहीं है अपितु जल एक वैश्विक एवं सीमित संसाधन है। देश में जल की अधिकता तथा जल की कमी वाले विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति - 2002 एवं 2012 में जल के अंतरबेसिन अंतरण पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि “क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर जल की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जल अंतरण द्वारा जल उपलब्ध कराना चाहिए, जिसमें एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में जल का अंतरण भी शामिल है।” इस प्रकार आपस में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम से बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान से और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूखे से बचाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय लिंकों द्वारा भारत की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

नदी जोड़ योजना का इतिहास :- देश की आजादी के पूर्व ब्रिटिश राज के दौरान एक इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने जल परिवहन परियोजनाओं के लिए गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने की मांग की थी। लेकिन इन क्षेत्रों के बीच बढ़ती रेलवे कनेक्टिविटी के कारण यह विचार स्थगित कर दिया गया।

1970 के दशक में तत्कालीन सरकार ने श्री के. एल. राव द्वारा प्रस्तावित नदियों को जोड़ने की परियोजना की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया था। उनके कार्यकाल में इस परियोजना को गति देने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था जिसने नदी जोड़ परियोजना को मूर्तरूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस टास्क फोर्स ने आगे के अध्ययन के लिए केन-बेतवा एवं पार्वती-काली सिंध-चम्बल परियोजना को चिन्हित किया। तत्पश्चात्, जुलाई 1982 में, इस नदी जोड़ परियोजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने हेतु भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) की स्थापना की।

तत्पश्चात् 2005 में सरकार के कार्यकाल में इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण लिंक केन - बेतवा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य भी शुरू किया गया था। इसके बाद संप्रग सरकार के ही कार्यकाल में जनवरी 2009 में ही इस परियोजना के दो और महत्वपूर्ण लिंकों पार-तापी-नर्मदा एवं दमन-गंगा-पिंजल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी संबन्धित राज्य सरकारों (महाराष्ट्र एवं गुजरात) से सहमति प्राप्त होने के बाद शुरू किया जा चुका है। फरवरी 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों को जोड़ने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है और इस परियोजना को तेजी से लागू करना, सुनिश्चित करने के लिए सरकार से कहा गया है। नर्मदा परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के आलोक में इस परियोजना की उम्मीद बंधती है।

नदी जोड़ योजना का इतिहास :- भारत में सरकार विशाल जल परियोजनाएं तो लाती है, किन्तु विस्थापितों की पुनःस्थापना, प्रभावशाली नागरिक समाज समूहों के कड़े विरोध एवं पर्यावरण को नुकसान की आशंका के कारण इन्हें लागू करने में काफी दिक्कत आती है। विभिन्न एन.जी.ओ. स्थानीय



निवासियों के विस्थापन के मुद्दों को जोर-शोर से उठाते हैं। इस प्रकार के संगठन अनेक जलविद्युत परियोजनाओं के विरोध में अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बढ़ता हुआ औद्योगीकरण व शहरीकरण स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में एन.जी.ओ. और नागरिक समूहों ने ऐसे उद्योगों का विरोध तेज कर दिया है जिनमें पानी की अधिक



मात्रा में खपत होती है। भारत की लौह अयस्क पट्टी में लगजमबर्ग के आर्सेल्लर मित्तल और दक्षिण कोरिया के पोस्को समूह की परियोजनाओं के जबरदस्त विरोध के कारण इन परियोजनाओं में देरी इसका ताजा उदाहरण है।

इसके अलावा नदी जोड़ परियोजना के द्वारा नहरों के माध्यम से नदियों को जोड़ जाना है और इसके लिए एक बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और वो भी विभिन्न प्रदेशों के मध्य सामंजस्य बनाते हुए। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, जहां कोई बड़ी नदी नहीं निकलती है और जो पड़ोसी राज्यों की नदियों पर निर्भर है। इस परियोजना का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य, जैसे असम, सिक्किम, केरल आदि, अपने जल संसाधनों पर अपने कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं। इस परियोजना की लागत 5,60,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान किया गया है जो एक बहुत बड़ा निवेश है और अंत में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आशंका के कारण यह परियोजना भी खटाई में पड़ सकती है।

अवसर :- मानसून के मौसम में गंगा, ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के बेसिन में बाढ़ आ जाती है, जबकि पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय बेसिनों में पानी की कमी हो जाती है। इन तमाम बेसिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने, बाढ़ से बचने और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए नदी जोड़ कार्यक्रम ही एकमात्र उत्तम और सरल उपाय है।

नई कृषि प्रौद्योगिकी और एक प्रकार के बीज मिलने के बाद भी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ही होगा, अन्यथा, खाद्यान्न आयात पर बढ़ती निर्भरता से पीछा नहीं छूटेगी। बदलते हुए जलवायु के परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजनाओं का क्रियान्वयन नितांत आवश्यक है। हालांकि नदी जोड़ने की इस परियोजना में भारी खर्च आने का अनुमान है। परन्तु, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि नदियों को आपस में जोड़ने से भारत का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग दोगुना हो जाएगा और आगे आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या और संपन्नता के कारण खाद्यान्न की बढ़ती मांग की आसानी से पूर्ति हो पाएगी।

वस्तुस्थिति :- सीधी-सी बात यह है कि एन.जी.ओ. तथा परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों द्वारा संगठित विरोध एवं पर्यावरणीय नुकसान की मात्र आशंकाओं के कारण परियोजनाओं के कारण परियोजनाओं को रोकना पड़ता है जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसा अनेक पनबिजली परियोजनाओं के साथ हो भी चुका है। इसी कारण से इन परियोजनाओं में निजी-सार्वजनिक निवेश को लेकर उत्साह भी नहीं है। परिणामस्वरूप, जलविद्युत का आकर्षण समाप्त होता जा रहा है, जबकि देश के हिमालयी भाग में जलविद्युत उत्पादन की विपुल संभावनाएं हैं। यह सत्य है कि विश्व के अनेक भागों में अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण सफलता के साथ क्रियान्वित हो रहा है। चीन की दक्षिण-उत्तर की जल परियोजना विश्व की सबसे विशाल अंतर-बेसिन जल स्थानान्तरण योजना है। भारत में इस तरह की दीर्घकालिक सामरिक योजनाएं बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की क्षमता तो है, परन्तु इन लिंग परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्यों एवं परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों की

सहमति मिलना भी बहुत आवश्यक है। अतः इन्हीं कारणों से भारत को नर्मदा नदी परियोजना को पूरा करने में भी दशकों का समय लगा। नदी जोड़ योजना का प्रभाव पड़ोसी देशों, जैसे भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश आदि पर भी पड़ना तय है। अतः वे भी इस परियोजना को लेकर पहले से ही चिंतित हैं। इन सभी देशों के साथ भी मिलकर सहमति बनाना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष :- भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि मानसून पर आश्रित है। गहराते जल संकट और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हम मानसून की अनियमितता से सबसे अधिक पीड़ित हैं और हमें अपनी जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपने संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना न केवल जल संरक्षण परियोजनाओं की एक शृंखला है अपितु जल संकट का निवारण भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में नदी जोड़ परियोजना को क्रियान्वित करने के पक्ष में दिए गए स्पष्ट निर्णय से यह दावा और भी प्रबल हो जाता है।

राजनीतिक व एन.जी.ओ. कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन, लालफीताशाही, कानूनी अड़चन, पर्यावरण चिंताओं, भूमि अधिग्रहण पर अनावश्यक कानूनी कारवाई और राज्य सरकारों द्वारा पेशगी प्रीमियम राशि की मांग से साबित हो जाता है कि कोई भी बड़ी परियोजना शुरू करना बेहद मुश्किल काम है। इसके बावजूद भी भारत में इस परियोजना को लागू करना एक टेढ़ी खीर जरूर है, परन्तु असंभव नहीं है। इसके लिए हम सभी को आपस में मिलकर सर्व-सम्मति बनानी होगी एवं सामूहिक प्रयास करने होंगे। इस परियोजना में हमारे द्वारा आज किया गया निवेश हमारे आने वाली पीढ़ियों के स्वर्णिम कल को निर्धारित करेगा।



“हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।”

स्वामी दयानंद

“समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।”

जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

रा.ज.वि.अ. की गतिविधियां

जुलाई-सितम्बर, 2020 में समाप्त तिमाही का तकनीकी सारसंग्रह

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अधीन संभाव्यता रिपोर्ट (सं.रि.) तैयार करने के लिए 30 लिंक (प्रायद्वीपीय घटक के अधीन 16 तथा हिमालयी घटक के अधीन 14 लिंक) अभिज्ञात किए हैं। सभी 30 लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट (पू.सं.रि.) पूरी कर ली हैं तथा संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित कर दी गई हैं।

संभाव्यता रिपोर्टें (सं.रि.) :- प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अभिज्ञात 16 लिंकों में से कर्नाटक से संबंधित 2 छोटे लिंकों नामतः बेदती-वरदा और नेत्रावती-हेमावती लिंकों को छोड़कर अन्य सभी की संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं।

रा.ज.वि.अ. ने हिमालयी घटक के अधीन अभिज्ञात 14 लिंकों में से 2 लिंकों नामतः शारदा-यमुना तथा घाघरा-यमुना (भारतीय भाग) की संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली हैं, चूंकि नेपाल के सीमा क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हो सका है इसलिए इनको परिचालित नहीं किया जा सका। उपरोक्त के अतिरिक्त 7 लिंकों नामतः (i) यमुना-राजस्थान (ii) चुनार-सोन-बैराज लिंक (iii) सुबर्णरेखा-महानदी लिंक (iv) गंगा (फरक्का) दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक (v) गंगा (फरक्का)-सुंदरबन लिंक (vi) राजस्थान-साबरमती लिंक (vii) गंडक-गंगा लिंक (भारतीय भाग) से संबंधित सर्वेक्षण एवं अन्वेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट के प्रारूप तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। नेपाल में पंचेश्वर परियोजना की डीपीआर के आधार पर शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान तथा राजस्थान-साबरमती लिंक परियोजना के संभाव्यता अध्ययनों को संशोधित किया जा रहा है। सोन बांध-गंगा की सहायक नदियों की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए दूरस्थ संज्ञान नक्शों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया है। मानस-संकोष-तीस्ता-गंगा (एम.एस.टी.जी.) की संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है तथा संबंधित पक्षकार राज्यों को परिचालित कर दी गई है। पूरी तरह से नेपाल के सीमा क्षेत्र में आने वाले कोसी - मेची लिंक तथा एम.एस.टी.जी. का विकल्प जोगी घोपा-तीस्ता-फरक्का की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का लक्ष्य अभी नहीं है।

महानदी (बरमूल)-रुषिकुल्या-गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट पूरी होने वाली है। एम.एस.टी.जी. (हिमालय घटक) लिंक को महानदी-गोदावरी (प्रायद्वीपीय घटक) से एकीकृत करने की संभावनाएं भी खोजी जा रही हैं।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :- तीन लिंक परियोजनाओं नामतः केन-बेतवा लिंक, चरण I एवं II, दमनगंगा-पिंजाल लिंक तथा पार-तापी-नर्मदा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली हैं। इन 3 लिंकों के संबंध में संबंधित राज्यों के मध्य मतैक्यता स्थापित कराने/क्रियान्वयन के लिए माननीय मंत्री, जल शक्ति, सचिव (ज. सं. न. वि. व गं. स. वि.) तथा महानिदेशक रा.ज.वि.अ. भरसक प्रयास कर रहे हैं।

माननीय मंत्री, (ज. श.), ने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों के साथ दिनांक 25.09.2017 को बैठक की तथा माननीय मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के साथ दिनांक 13.02.2018 एवं 18.05.2018 को बैठक की। माननीय मंत्री, जल शक्ति ने दिनांक 16.01.2018 को उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों के अधिकारियों के साथ परियोजना की स्थिति की समीक्षा की। माननीय मंत्री, जल शक्ति ने के बी एल पी के क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक 25.02.2020 को माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के साथ बैठक की। केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में माननीय मंत्री (जल शक्ति) ने दिनांक 22.09.2020 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन/जल शक्ति मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। सहमति के लिए के बी एल पी समझौता अनुबंध का प्रारूप मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को भेज दिया गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के अनुबंध ज्ञापन पर विचार विमर्श करने के लिए सचिव (ज.सं. न.वि.व गं.सं.वि.) ने उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ दिनांक 23.04.2018, 20.07.2019 एवं 03.09.2020 को बैठकें (वर्चुअल) कीं। पन्ना टाइगर रिजर्व भूमि प्रबंधन योजना (एलएमपी) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए हस्ताक्षर प्राधिकारियों के साथ दिनांक 21.07.2020 को वीडियो कांफ्रेंस द्वारा बैठक हुई।

पार-तापी-नर्मदा तथा दमनगंगा पिंजाल लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकारों को सितंबर 2017 में भेज दिया है। माननीय मंत्री जल शक्ति ने गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकार के मुख्य मंत्रियों के साथ दिनांक 25.09.2017 को बैठक की। दमनगंगा-पिंजाल तथा पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए माननीय मंत्री, जल शक्ति ने दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ 16.01.2018 को इन दोनों लिंक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए

सचिव (ज. सं. न. वि. व गं. वि.), ने भी महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ दिनांक 20.04.2018 एवं 07.09.2018 को बैठक की। केंद्रीय जल आयोग पार-तापी-नर्मदा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन कर रहा है। दिनांक 28.07.2020 को बातचीत के माध्यम से मतैक्यता स्थापित कराने तथा संबंधित राज्यों के मध्य मतैक्यता स्थापित कराने के लिए नदियों को जोड़ने पर विशेष समिति (एससीआईएलआर) के अंतर्गत कार्यरत, उप समिति IV की तीसरी बैठक में पार तापी नर्मदा लिंक के अंतर्गत महाराष्ट्र तथा गुजरात के मध्य जल बंटवारा संबंधी मुद्दे पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा महाराष्ट्र में पार तापी नर्मदा जल ग्रहण क्षेत्र से लिए गए अधिशेष जल की क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव किया गया। दोनों राज्यों से प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों से पथांतरित किए जाने वाले जल की मात्रा पर मतैक्यता नहीं हो पाई है, रा.ज. वि.अ. ने गोदावरी-कावेरी लिंक द्वारा गोदावरी बेसिन के इंद्रावती उप बेसिन के अप्रयुक्त जल को कावेरी बेसिन में अंतरित करने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया है। रा.ज.वि. अ. ने इस लिंक परियोजना की प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली है तथा पक्षकार राज्यों को मार्च 2019 में भेज दी है। दिनांक 18.09.2020 को आयोजित वर्चुअल बैठक में विचार विमर्श के दौरान पक्षकार राज्यों से प्राप्त उनके विचारों/सुझावों/टिप्पणियों के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल तथा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को एकीकृत करने के लिए पार्वती-कूनो-सिंद (पीकेएस) लिंक परियोजना की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली है तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा केंद्रीय जल आयोग को जून 2020 में परिचालित कर दी है। इस संबंध में दिनांक 03.07.2020 एवं 11.08.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा केंद्रीय जल आयोग में समीक्षा बैठक की गई। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य जल का आदान-प्रदान करने तथा जल बंटवारे का सुझाव देने हेतु पीकेएस और ईआरसीपी की पहली बैठक दिनांक 08.09.2020 को आयोजित की गई।

कावेरी-वैगई-गुंडार लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली है तथा पक्षकार राज्यों के मध्य अगस्त 2020 में परिचालित की गई।

महानदी (बरमूल)-रुषिकुल्या-गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का कार्य जारी है।

अंतः राज्यीय लिंक :- रा.ज.वि.अ. को 9 राज्यों नामतः महाराष्ट्र गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तथा कर्नाटक से कुल 48 अंतः राज्यीय लिंक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रा.ज.वि.अ. ने इन 48 अंतः राज्यीय लिंक प्रस्तावों में से 37 लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली है।

बिहार राज्य की बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा लिंक तथा कोसी-मेची, तमिलनाडु की पोन्नय्यार (नेडुंगल-अनीकट) - पालार लिंक, महाराष्ट्र की वेनगंगा (गोसीखुर्द) - नलगंगा (पूरना-तापी) लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली है तथा इसे संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। महाराष्ट्र की दमनगंगा(इकदारे)-गोदावरी लिंक तथा दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी (कदवादेव) लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है। कोसी-मेची अंतः राज्यीय लिंक परियोजना की तकनीकी - आर्थिक, पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है तथा व्यय मंजूरी प्रगति पर है।

जल संतुलन अध्ययनों का आशोधन :-

तिमाही के दौरान केन बेसिन के सोनार उप बेसिन के जल संतुलन अध्ययन में आशोधन किया गया है।

तकनीकी बैठकों/ सेमिनारों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं में भागीदारी :-

महानिदेशक रा.ज.वि.अ. तथा रा.ज.वि.अ. के अन्य अधिकारियों ने तिमाही के दौरान समय - समय पर 33 तकनीकी बैठकों, 06 सेमिनारों/ कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

संसदीय प्रश्नों/ वी.आई.पी./पी.एम.ओ./ पी.जी./ पी.एस. संदर्भों के उत्तर :-

तिमाही के दौरान 30 संसदीय प्रश्नों/ 26 वी.आई.पी./पी.एम.ओ./ पी.जी./ पी.एस. ग्राम संदर्भों तथा जन सूचना का अधिकार के अंतर्गत 16 मामलों के उत्तर दिए गए।

पी.एम.के.एस.वाई.-ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत नाबार्ड निधियन :-

पी.एम.के.एस.वाई.-ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2016 तक 15 राज्यों, उत्तरी कोइल तथा पोलावरम परियोजनाओं को 22495.62 करोड़ रूपए संवितरित किए गए।

शासीनिकाय की 76वीं बैठक :-

रा.ज.वि.अ. के शासीनिकाय की 76वीं बैठक वर्चुअल प्लेटफार्म पर दिनांक 24.08.2020 को हुई तथा वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित खातों को अनुमोदित किया गया।

नदी जोड़ पर विशेष समिति (न. जो. पर वि. स.) :-

दिनांक 01.06.2019 से दिनांक 31.07.2020 तक की अवधि के लिए नदी जोड़ पर विशेष समिति पर कैबिनेट नोट संबंधित मंत्रालयों को दिनांक 21.08.2019 को परिचालित कर दिया गया है।

नदी जोड़ पर कार्यबल :-

नदी जोड़ पर कार्य बल की अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं तथा पिछली बैठक दिनांक 16.07.2020 को हुई।

90:10 (केंद्र-राज्य) बंटवारे के आधार पर एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में केन बेतवा लिंक परियोजना के निधियन के लिए प्रारूप कैबिनेट नोट

जल शक्ति मंत्रालय ने 90:10 (केंद्र-राज्य) बंटवारे के आधार पर एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में केन बेतवा लिंक परियोजना के निधियन के लिए जून 2020 में एक प्रारूप कैबिनेट नोट परिचालित कर दिया है। राजविअ ने नीति आयोग तथा कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से प्राप्त विचारों/टिप्पणियों आदि का प्रारूप उत्तर अगस्त 2020 में जल शक्ति मंत्रालय को सौंप दिया है।

बातचीत के माध्यम से मतैक्यता स्थापित कराने तथा संबंधित राज्यों के मध्य मतैक्यता स्थापित कराने के लिए उप समिति IV :-

नदियों को जोड़ने पर विशेष समिति (एससीआईएलआर) के अंतर्गत उप समिति-IV, की तीसरी बैठक दिनांक 28.07.2020 को हुई।

01.07.2019 से 30.09.2020 तक नियुक्तियां

(क) इस अवधि में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा निम्नलिखित भर्ती की गई।

क्र. सं.	नाम और पदनाम	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती	नियुक्ति का स्थान
1.	श्री अमित सिंह, अवर श्रेणी लिपिक	सीधी भर्ती 26.08.2020 (पूर्वा) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, भोपाल
2.	श्री गौरव शर्मा, अवर श्रेणी लिपिक	सीधी भर्ती 14.09.2020 (पूर्वा) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, कोलकाता

(ख) पदोन्नति: इस अवधि के दौरान पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद एवं दिनांक	पदोन्नति के बाद तैनाती का स्थान
1.	श्रीमती के. गीता, निजी सचिव	वरिष्ठ निजी सचिव 30.06.2020 (पूर्वा.) से	राजविअ (मु.), नई दिल्ली
2.	श्री ज्योति राजवेदी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी 01.07.2020 (पूर्वा.) से	राजविअ (मु.), नई दिल्ली
3.	श्री के.के. श्रीवास्तव, उप निदेशक	अधीक्षण अभियंता 01.07.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण सर्किल, राजविअ, पटना
4.	श्री ए. राजेश्वर राव, कार्यपालक अभियंता	कार्यपालक अभियंता 15.07.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, बेंगलूरु
5.	श्री हरि कृष्ण पांडेय, सहायक कार्यपालक अभियंता	कार्यपालक अभियंता 20.07.2020 (पूर्वा.) से	राजविअ (मु.), नई दिल्ली
6.	श्री दलीप सिंह, आशुलिपिक	निजी सचिव 20.07.2020 (पूर्वा.) से	राजविअ (मु.), नई दिल्ली
7.	श्री ए.के. रंगारे	सहायक कार्यपालक अभियंता 21.08.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, नासिक
8.	श्री के.पी.राव, सहायक अभियंता	सहायक निदेशक 20.08.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, भुवनेश्वर
9.	श्री पी.सी.एम.राव, सहायक अभियंता	सहायक निदेशक 02.09.2020 (पूर्वा.) से	मुख्य अभियंता (दक्षिण) का कार्यालय, हैदराबाद
10.	श्री आर.एल. कर्ण, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रधान लिपिक 02.09.2020 (पूर्वा.) से	राजविअ (मु.), नई दिल्ली
11.	श्री एस.वी. अयाचित, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रधान लिपिक 02.09.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग-1, राजविअ, नासिक
12.	श्री एस.ए. रहीम, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रधान लिपिक 03.09.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद
13.	श्री जी. नरसिम्हा राव, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रधान लिपिक 02.09.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद
14.	श्री टी. सूर्यकांता रेड्डी, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रधान लिपिक 02.09.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद
15.	श्री सुभाष सक्सेना, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रधान लिपिक 02.09.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, ग्वालियर
16.	श्रीमती एस. दुर्गाबाई, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रधान लिपिक 03.09.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, चैन्नई
17.	श्री एम.के. सक्सेना, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रधान लिपिक 02.09.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, ग्वालियर

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद एवं दिनांक	पदोन्नति के बाद तैनाती का स्थान
18.	श्री आर.एम.पंडा, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रधान लिपिक 02.09.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, भुवनेश्वर
19.	श्री धनेश्वर मलिक, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रधान लिपिक 02.09.2020 (पूर्वा.) से	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, भुवनेश्वर

(ग) सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/प्रत्यावर्तन

राजविअ से सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/प्रत्यावर्तन पदाधिकारी

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति/ प्रत्यावर्तन का दिनांक
1.	श्रीमती डी. श्यामला, प्रधान लिपिक, अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	31.07.2020
2.	श्री के.एस. उपाध्याय, एम.टी.एस., राजविअ (मु.), नई दिल्ली	31.07.2020
3.	श्री चमन लाल, एम.टी.एस., राजविअ (मु.), नई दिल्ली	31.07.2020
4.	सुश्री नेहा शर्मा, अवर श्रेणी लिपिक, अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, वडोदरा	31.07.2020 (त्यागपत्र)
5.	श्री के.के. धोकिया, प्रारूपकार, श्रेणी-II अन्वेषण सर्किल, राजविअ, वलसाड	31.08.2020
6.	श्री रमुदु, चालक, श्रेणी-I अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	31.08.2020
7.	श्री एस.के.दास, एम.टी.एस., अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, कोलकाता	31.08.2020
8.	श्री टी. सूर्यकांता रेड्डी, प्रधान लिपिक, अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	30.09.2020
9.	श्री जी. मोहनन नायर, एम.टी.एस., अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, बंगलूरु	30.09.2020

*श्री पी. अंजनायुलु, सहायक निदेशक, अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद का दिनांक 25.08.2020 को देहावसान हो गया।



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में राजभाषा संबंधी गतिविधियां

मुख्यालय में हिन्दी पखवाड़ा 2020 का आयोजन

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण मुख्यालय, नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 सितम्बर, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने पखवाड़े की रूपरेखा प्रस्तुत की।

मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने सभी साथियों को हिन्दी पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर बधाई दी “हिन्दी पखवाड़ा 2020 के शुभ अवसर पर रा.ज.वि.अ. परिवार के सभी साथियों को हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने प्रेरणा और प्रोत्साहन द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग एवं प्रसार के लिए कई कदम उठाए हैं। समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और इसी प्रकार की अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से सभी को साथ लेकर हिन्दी को बढ़ाने का प्रयास भी इन्हीं कदमों में से एक है। जिस पर आप लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा हिन्दी बहुत ही सरल एवं सहज भाषा है। भारत सरकार ने इसे सरकार के कार्यालयों में काम-काज की भाषा घोषित किया है। हम सभी इसका उपयोग बड़ी सरलता से कर सकते हैं। और प्रायः यह देखा गया है कि डीलिंग हैंड द्वारा नोटिंग मुख्य रूप से हिन्दी में ही की जाती है। डीलिंग हैंड के इस प्रयास को देखते हुए उच्चाधिकारी भी उस पर अपनी टिप्पणियां एवं हस्ताक्षर आदि हिन्दी में ही करते हैं। हमारे कार्यालय के लिए यह बड़े गौरव की बात है।”

महानिदेशक महोदय ने सभी साथियों को हिन्दी पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर बधाई दी और अपनी ओर से एक अपील जारी की। उन्होंने कहा कि “आज हम सब हिन्दी दिवस समारोह एवं हिन्दी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकत्र हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, उसी दिन की स्मृति में हम प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस का आयोजन करते हैं और राजभाषा का यह पखवाड़ा मनाते हैं। उन्होंने कहा बहुत प्रसन्नतापूर्वक कहा कि पूरे राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में हिन्दी के प्रति जिस निष्ठा और लगन से काम किया जा रहा है और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और इस क्षेत्र में की गई प्रगति को बराबर बनाए भी हुए हैं इस कार्य में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का बराबर एवं

सराहनीय सहयोग रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

महानिदेशक महोदय ने हिन्दी में ही सोचने और केवल हिन्दी में ही कार्य करने के बारे में बताया कि शब्द हमारे सोचने की प्रक्रिया से निर्मित एवं परिष्कृत होकर हमारे समक्ष आते हैं। हम अपने कार्यक्षेत्र एवं विषय के अनुसार शब्दों का चयन करते हैं। यदि हम अपना कार्य आरंभ करते समय सोचने की प्रक्रिया के समय थोड़ा भी ध्यान दें तो स्वतः वे शब्द हिन्दी भाषा के ही निकलते हैं। यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए तो अपने कार्यालय का सभी कार्य हिन्दी के माध्यम से भी निपटाया जा सकता है।”

निदेशक (तकनीकी) एवं राजभाषा अधिकारी, श्री मुजफ्फर अहमद ने मुख्य अभियंता तथा सभी पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिन्दी पखवाड़ा 2020 के उद्घाटन अवसर पर महानिदेशक महोदय, मुख्य अभियंता महोदय एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत है। विगत वर्षों की भांति इस बार भी रा.ज.वि.अ. में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है परंतु वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इसका आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकारी कामकाज में हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए राजभाषा विभाग के नियमानुसार विभिन्न हिन्दी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है और इस पखवाड़े में भी हिन्दी पत्राचार और हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन हेतु हिन्दी में वाद-विवाद प्रतियोगिता, अशुद्धि हटाओ प्रतियोगिता, हिन्दी संबंधी नारा/स्तोत्र प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, राजभाषा नीति और हिन्दी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताओं के साथ-साथ वर्ष भर जारी मूल टिप्पण/आलेखन, प्रोत्साहन योजना, श्रुतलेख प्रोत्साहन योजना, तकनीकी लेख प्रोत्साहन योजनाओं का भी आयोजन एवं उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने महानिदेशक महोदय और मुख्य अभियंता (मुख्यालय) महोदय द्वारा हिन्दी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह के लिए अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालने के लिए महानिदेशक महोदय और मुख्य अभियंता (मुख्यालय) महोदय का धन्यवाद।

अंत में राष्ट्रगान के साथ पखवाड़े के उद्घाटन समारोह का समापन हुआ।

हिन्दी पखवाड़े के दौरान निम्नानुसार छह विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें रा.ज.वि.अ. के सभी पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक बड़-चढ़कर हिस्सा लिया और इस पखवाड़े को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वाद-विवाद प्रतियोगिता-15.09.2020

दिनांक 15.09.2020 को वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक श्री रूपेश कुमार सिन्हा, निदेशक (वित्त) एवं श्री अनिल कुमार जैन, उपनिदेशक थे। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	रीता कश्यप, आशुलिपिक	प्रथम संयुक्त
	ललित कुमार स्यानियां, कनिष्ठ अभियंता	
	अशोक भट्टेले, कनिष्ठ अभियंता	
2.	राजीव निगम, कनिष्ठ अभियंता	द्वितीय संयुक्त
	बी.के. टंडेल, सहायक निदेशक	
	शोभा रावत, आशुलिपिक	
3.	विमलेश गोस्वामी, प्रारूपकार	तृतीय संयुक्त
	राधा, अवर श्रेणी लिपिक	
	ईश्वर लाल मौर्य, प्रारूपकार	
4.	अंशुल जैन, कनिष्ठ अभियंता	प्रोत्साहन संयुक्त
	राम किशन, कनिष्ठ अभियंता	
5.	नलिनी मोहन, आशुलिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
	अंकन, अवर श्रेणी लिपिक	

अशुद्धि हटाओ, प्रतियोगिता 16.09.2020

(केवल चालकों एवं एम.टी.एस. के लिए)

दिनांक 16.09.2020 को अशुद्धि हटाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता विशेषतौर पर केवल चालकों एवं एम.टी.एस. कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाती है। इसमें सभी पदाधिकारियों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक श्री चिरब्रत सरकार, निदेशक (प्रशासन) एवं श्री राजेश कुमार, उपनिदेशक (प्रशासन) थे। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	दरम्यान सिंह, वाहन चालक	प्रथम
2.	उमेश चन्द्र, एम.टी.एस.	द्वितीय
3.	अजय सिंह, वाहन चालक	तृतीय
4.	परबीरेन्द्र सिंह नेगी, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन
5.	रामेश्वर, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त
6.	भोपाल सिंह, एम.टी.एस.	

हिन्दी संबंधी नारा/स्लोगन प्रतियोगिता - 17.09.2020

दिनांक 17.09.2020 को हिन्दी संबंधी नारा/स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक श्री अफरोज आलम, अधीक्षक अभियंता एवं श्री के.के. राव, उपनिदेशक थे। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	राजीव निगम, कनिष्ठ अभियंता	प्रथम
	रीता कश्यप, आशुलिपिक	
2.	ऊषा रानी, आशुलिपिक	द्वितीय
	राम किशन, कनिष्ठ अभियंता	
3.	ईश्वर लाल मौर्य, प्रारूपकार	तृतीय
	तृप्ता ढींगरा, प्रधान लिपिक	
4.	ललित कुमार सामंतराय, प्रशासनिक अधिकारी	प्रोत्साहन संयुक्त
	नलिनी मोहन, आशुलिपिक	
5.	राधा, अवर श्रेणी लिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
	वी.जे. निखिल, कनिष्ठ अभियंता	

निबंध प्रतियोगिता - 18.09.2020

दिनांक 18.09.2020 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसमें बड़े उत्साह से पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक श्री मुजफ्फर अहमद, निदेशक (तकनीकी) व राजभाषा अधिकारी तथा श्री एच.के. पाण्डे, उपनिदेशक थे। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	राधा, अवर श्रेणी लिपिक	प्रथम
	ललित कुमार स्यानियां, कनिष्ठ अभियंता	
	मोहम्मद इरफान, अवर श्रेणी लिपिक	
	अशोक भट्टेले, कनिष्ठ अभियंता	
2.	तृप्ता ढींगरा, प्रधान लिपिक	द्वितीय
	राजीव निगम, कनिष्ठ अभियंता	
	ईश्वर लाल मौर्य, प्रारूपकार	
	शोभा रावत, आशुलिपिक	
3.	नानक चंद, प्रवर श्रेणी लिपिक	तृतीय
	अंशुल जैन, कनिष्ठ अभियंता	
	मिथलेश मौर्या, अवर श्रेणी लिपिक	
	रीना वधवा, आशुलिपिक	
4.	साहिल बालयान, अवर श्रेणी लिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
	हरिओम वाष्णेय, कनिष्ठ अभियंता	
5.	रीता कश्यप, आशुलिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
	रामदास सिंह, अवर श्रेणी लिपिक	

कविता प्रतियोगिता - 22.09.2020

दिनांक 22.09.2020 को कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें पदाधिकारियों ने बड़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम.डी.यू.) एवं श्री राकेश कुमार गुप्ता, उपनिदेशक थे। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	बिमलेश गोस्वामी, प्रारूपकार	प्रथम
	निकुंज मलिक, कनिष्ठ अभियंता	
	ऊषा रानी, आशुलिपिक	
	साहिल बालयान, अवर श्रेणी लिपिक	

2.	ईश्वर लाल मौर्य, प्रारूपकार	द्वितीय
	मोहम्मद इरफान, अवर श्रेणी लिपिक	
	सोनू कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	
	राधा, अवर श्रेणी लिपिक	
3.	अशोक भट्टेले, कनिष्ठ अभियंता	तृतीय
	ललित कुमार स्यानियां, कनिष्ठ अभियंता	
	रीता कश्यप, आशुलिपिक	
	विक्रम सिंह, अवर श्रेणी लिपिक	
4.	ललित कुमार सामंतराय, प्रशासनिक अधिकारी	प्रोत्साहन संयुक्त
	नलिनी मोहन, आशुलिपिक	
5.	शोभा रावत, आशुलिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
	बी.के. टंडेल, सहायक निदेशक	

राजभाषा नीति और हिन्दी साहित्य से संबंधित प्रश्नावली प्रतियोगिता - 23.09.2020

दिनांक 17.09.2020 को राजभाषा नीति और हिन्दी साहित्य से संबंधित प्रश्नावली प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें राजभाषा संबंधित, सामान्य ज्ञान तथा रा.ज.वि.अ. से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में लिए गए। इस प्रतियोगिता के निर्णायक श्री डी.के. शर्मा, अधीक्षक अभियंता एवं श्री आर.के. शर्मा, उपनिदेशक थे। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	अशोक भट्टेले, कनिष्ठ अभियंता	प्रथम
	हरिओम वाष्णेय, कनिष्ठ अभियंता	
	ललित कुमार स्यानियां, कनिष्ठ अभियंता	
	ईश्वर लाल मौर्य, प्रारूपकार	
2.	राधा, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय
	निकुंज मलिक, कनिष्ठ अभियंता	
	राजेश कुमार, उपनिदेशक (प्रशा.)	
	आर.एस.लाल, प्रोग्राम सहायक	

3.	योगेश, अवर श्रेणी लिपिक	तृतीय
	मिथलेश मौर्या, अवर श्रेणी लिपिक	
	निर्मला सिंह, आशुलिपिक	
	रीता कश्यप, आशुलिपिक	
4.	रीना वाधवा, आशुलिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
	के.सी. बघेल, कनिष्ठ अभियंता	
5.	नलिनी मोहन, आशुलिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
	ललित कुमार सामंतराय, प्रशासनिक अधिकारी	

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में वर्ष भर 6 प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए तीन प्रोत्साहन योजनाओं को रखा गया। पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है :

1. मूल टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	विक्रम सिंह, अवर श्रेणी लिपिक	प्रथम
2.	सत्य प्रकाश तोमर, कनिष्ठ अभियंता	प्रथम
3.	राधा, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय
4.	मिथलेश मौर्या, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय
5.	ईश्वर लाल मौर्य, प्रारूपकार	द्वितीय
6.	योगेश, अवर श्रेणी लिपिक	तृतीय
7.	हरिओम वाष्णेय, कनिष्ठ अभियंता	तृतीय
8.	नानक चन्द, प्रवर श्रेणी लिपिक	तृतीय
9.	अजय सिंह, वाहन चालक	तृतीय
10.	रामदास सिंह, अवर श्रेणी लिपिक	तृतीय

2. श्रुतलेख प्रोत्साहन योजना :

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	राकेश कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता (मु.)	अधिकारी वर्ग
2.	रीना वाधवा, आशुलिपिक	कर्मचारी वर्ग

3. तकनीकी लेख प्रोत्साहन योजना :

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	के.एस. नायडु, सहायक अभियंता, हैदराबाद	प्रथम
2.	विनीता शर्मा, प्रोग्राम सहायक, ग्वालियर	द्वितीय
3.	ललित कुमार स्यानियां, कनिष्ठ अभियंता, दिल्ली	तृतीय
4.	मोहम्मद इरफान, अवर श्रेणी लिपिक, दिल्ली	प्रोत्साहन

वर्ष 2019–2020 की क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु “राजभाषा वैजयंती, अन्वेषण सर्किल, हैदराबाद को और लघु राजभाषा वैजयंती उसके अधीनस्थ अन्वेषण प्रभाग, हैदराबाद, अन्वेषण प्रभाग, बंगलौर, अन्वेषण प्रभाग, चेन्नई, अन्वेषण प्रभाग, नागपुर एवं अन्वेषण प्रभाग-1, नासिक, अन्वेषण प्रभाग-11, नासिक को देने की अनुशंसा की गई।

समापन समारोह :- दिनांक 28.09.2020 को हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया ।

मुख्य अभियंता महोदय ने कहा कि हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि हिन्दी भाषा के माध्यम से हम अपने सभी प्रकार के काम सरलता से पूरा करने में सक्षम हैं।

महानिदेशक महोदय ने हिन्दी पखवाड़े की सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा प्रोत्साहन योजनाओं के विजेताओं को पुरस्कारों को जीतने की बधाई दी और इस उत्साह को सदा कायम रखने की प्रेरणा दी ।

अंत में निदेशक (तकनीकी) एवं राजभाषा अधिकारी ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी तथा सूचित किया । उन्होंने यह भी बताया कि प्रतियोगिताओं तथा प्रोत्साहन योजनाओं के सभी निर्णायकों ने निर्णय लेते समय ध्यान में रखा है कि जो पदाधिकारी हिन्दी में काम करते हैं उन्हें पूरा प्रोत्साहन मिले और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले कि वो अपना काम हिन्दी में कर सकते हैं ।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने पुरस्कारों संबंधी उद्घोषणा की तथा महानिदेशक महोदय, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), निदेशक (तकनीकी) एवं राजभाषा अधिकारी, निर्णायक की भूमिका निभाने वाले सभी वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया तथा उनके सहयोगियों और लेखा अनुभाग के पदाधिकारियों और अपने सहकर्मियों को हार्दिक धन्यवाद दिया ।

राष्ट्रगान के साथ समापन समारोह की इति हुई ।



“वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व कर सके और हिंदी इसमें समर्थ है।”

पीर मुहम्मद मूनिस

“देवनागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है।”

रविशंकर शुक्ल

क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

मुख्य अभियंता (उत्तर) के कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा-2020 का आयोजन

मुख्य अभियंता (उत्तर), रा.ज.वि.अ., लखनऊ :-

मुख्य अभियंता (उत्तर), रा.ज.वि.अ., लखनऊ में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े हर्ष एवं उल्लास से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है:

निबंध प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	राजीव कनौजिया, सहायक अभियन्ता	प्रथम संयुक्त
	अहीश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	
2.	सुभाष चन्द्र चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता	द्वितीय संयुक्त
	राजेन्द्र सिंह नयाल, अवर श्रेणी लिपिक	
3.	राहुल सक्सेना, कनिष्ठ अभियन्ता	तृतीय संयुक्त
	अमन त्रिवेदी, आशुलिपिक	
4.	सुनील कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
	खुशी राम, अवर श्रेणी लिपिक	
5.	चन्द्र बहादुर थापा, वाहन चालक	प्रोत्साहन संयुक्त
	जय प्रकाश, एम.टी.एस.	

लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	राजीव कनौजिया, सहायक अभियन्ता	प्रथम संयुक्त
	राजेन्द्र सिंह नयाल, अवर श्रेणी लिपिक	
	सुनील कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	
2.	भूरे सिंह उचारिया, उपनिदेशक	द्वितीय संयुक्त
	अहीश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	
	अमन त्रिवेदी, आशुलिपिक	

3.	सुभाष चन्द्र चौधरी, कनिष्ठ अभियंता	तृतीय संयुक्त
	आर.के. साहू, अधीक्षक	
	जय प्रकाश, एम.टी.एस.	
4.	राहुल सक्सेना, कनिष्ठ अभियन्ता	प्रोत्साहन संयुक्त
	चन्द्र बहादुर थापा, वाहन चालक	
5.	खुशी राम, अवर श्रेणी लिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
	दल बहादुर, एम.टी.एस.	

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., लखनऊ में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े हर्ष एवं उल्लास से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है।

नारा लेखन प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	आलोक सिंह, क.अ.	प्रथम संयुक्त
	प्रमोद कुमार, क.अ.	
2.	विनय सलूजा, क.लेखाकार	द्वितीय संयुक्त
	अरविन्, अ.श्रे.लि.	
	शिवेन्द्र कुमार निराला, अ.श्रे.लि.	
3.	संजय त्रिपाठी, स.अ.	तृतीय संयुक्त
	बिबियाना सांगा, आशुलिपिक	
	अशोक कुमार शुक्ला, अ. श्रे. लि.	
4.	सुरेश चन्द्र, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	बिपिन कुमार, एम. टी. एस.	प्रोत्साहन संयुक्त

निबंध प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	संजय त्रिपाठी, स.अ.	प्रथम संयुक्त
	विनय सलूजा, क.लेखाकार	
2.	प्रमोद कुमार, क.अ.	द्वितीय संयुक्त
	बिबियाना सांगा, आशुलिपिक	
	बिपिन कुमार, एम. टी. एस.	
3.	आलोक सिंह, क.अ. एवं	तृतीय संयुक्त
	शिवेन्द्र कुमार निराला, अ.श्रे.लि.	
	अशोक कुमार शुक्ला, अ. श्रे. लि.	
4.	अरविन्, अ.श्रे.लि.	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	सुरेश चन्द्र, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त

अन्वेषण सर्किल एवं अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., ग्वालियर :-

अन्वेषण सर्किल एवं अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., ग्वालियर में संयुक्त रूप से दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। उद्घाटन समारोह में कार्यालयी कार्य में राजभाषा के अधिकतम उपयोग करने का अनुरोध किया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है।

अन्वेषण सर्किल, रा.ज.वि.अ., ग्वालियर

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	विनीता शर्मा, सहा. निदेशक	प्रथम संयुक्त
	दीपक नाफड़े, आशुलिपिक	
2.	प्रवीण दीक्षित, अ.श्रे.लि.	द्वितीय संयुक्त
	आशु सोनी, अ.श्रे.लि.	
3.	पी.एन. सोनी, क.अ.	तृतीय संयुक्त
	रविन्द्र सेठी, प्रधान लिपिक	
4.	बी.डी. शर्मा, क.अ.	प्रोत्साहन
5.	गीता बाथम, अ.श्रे.लि.	प्रोत्साहन

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., ग्वालियर
प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	सुधांश वरेनिया, क.अ.	प्रथम संयुक्त
	राकेश कुमार, प्रारूपकार	
2.	रमाकान्त मिश्रा, क.अ.	द्वितीय संयुक्त
	रोहित, अ.श्रे.लि.	
3.	सचिन कुमार, क.ले.	तृतीय संयुक्त
	सुभाष सक्सेना, प्र.श्रे.लि.	प्रोत्साहन
	नवीन सक्सेना, प्र.श्रे.लि.	प्रोत्साहन

अन्वेषण सर्किल, रा.ज.वि.अ., ग्वालियर
श्रुतलेख प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	विनीता शर्मा, सहा. निदेशक	प्रथम संयुक्त
	दीपक नाफड़े, आशुलिपिक	
2.	पी.एन. सोनी, क.अ.	द्वितीय संयुक्त
	प्रवीण दीक्षित, अ.श्रे.लि.	
3.	बी.डी. शर्मा, क.अ.	तृतीय संयुक्त
	आशु सोनी, अ.श्रे.लि.	
4.	रविन्द्र सेठी, प्रधान लिपिक	प्रोत्साहन
5.	गीता बाथम, अ.श्रे.लि.	प्रोत्साहन

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., ग्वालियर
श्रुतलेख प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	राकेश कुमार, प्रारूपकार	प्रथम संयुक्त
	रोहित, अ.श्रे.लि.	
2.	रमाकान्त मिश्रा, कनिष्ठ अभियंता	द्वितीय संयुक्त
	सुधांशु बरेनिया, क.अ.	
3.	सुभाष सक्सैना, प्रधान लिपिक	तृतीय संयुक्त
	नवीन सवैना, प्रधान लिपिक	
4.	प्रिया विज, आशुलिपिक	प्रोत्साहन
5.	सचिन कुमार, कनिष्ठ लेखाकार	प्रोत्साहन

अन्वेषण सर्किल एवं अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., पटना एवं अन्वेषण उप प्रभाग रांची :-

अन्वेषण सर्किल एवं अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., पटना एवं अन्वेषण प्रभाग, अन्वेषण उप प्रभाग, रांची में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है:

अन्वेषण सर्किल एवं अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ.

निबंध प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	शशि रंजन, अवर श्रेणी लिपिक	प्रथम संयुक्त
	निरंजन स्वाई, प्रवर श्रेणी लिपिक	
2.	बी.के. सिंह, सहायक अभियंता	द्वितीय संयुक्त
	मनीष कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	
3.	करण कुमार, आशुलिपिक	तृतीय संयुक्त
	अरविंद कुमार वर्मा, वाहन चालक	
4.	हिमांशु टुडू, कनिष्ठ अभियंता	प्रोत्साहन
5.	प्रमोद कुमार दास, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त
	प्रशांत कुमार दास, एम.टी.एस.	

टिप्पणी प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	बी.के. सिंह, सहायक अभियंता	प्रथम संयुक्त
2.	निरंजन स्वाई, प्रवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय संयुक्त
	करण कुमार, आशुलिपिक श्रेणी	
3.	मनीष कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	तृतीय संयुक्त
	शशि रंजन, अवर श्रेणी लिपिक	
	अरविंद कुमार वर्मा, वाहन चालक	
4.	प्रमोद कुमार दास, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन
5.	हिमांशु टुडू, कनिष्ठ अभियंता	प्रोत्साहन संयुक्त
	प्रशांत कुमार दास, एम.टी.एस.	

अन्वेषण उप प्रभाग, रांची

निबंध प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	लक्ष्मण कुमार टुडू, कनिष्ठ अभियंता	प्रथम संयुक्त
2.	अशोक कुमार प्रसाद, स.अ.अ.	द्वितीय संयुक्त
3.	राधू चरण बेहुरा, एम.टी.एस.	तृतीय संयुक्त
4.	सुरेश कुमार चंपती, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन

टिप्पणी प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	अशोक कुमार प्रसाद, स.अ.अ.	प्रथम संयुक्त
2.	सुरेश कुमार चंपती, एम.टी.एस.	द्वितीय संयुक्त
3.	लक्ष्मण कुमार टुडू, कनिष्ठ अभियंता	तृतीय संयुक्त
4.	राधू चरण बेहुरा, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., झांसी :-

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., झांसी में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। उद्घाटन समारोह में कार्यालयी कार्य में राजभाषा के अधिकतम उपयोग करने का अनुरोध किया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है।

श्रुतलेखन प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	अमित तिवारी क.अ.	प्रथम संयुक्त
	अभिषेक शर्मा, आशलिपिक	
2.	आर.के. बिजोरिया, स.अ.	द्वितीय संयुक्त
	शुभम जैन, क.अ.	
3.	ओम प्रकाश लिखार, प्रधान लिपिक	तृतीय संयुक्त
	विनीत, निम्न श्रेणी लिपिक	
4.	राजेश कुमार, वाहन चालक	प्रोत्साहन

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	शुभम जैन, क.अ.	सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया।
2.	आर.के. बिजोरिया, स.अ.	
3.	अमित तिवारी क.अ.	
4.	अभिषेक शर्मा, आशलिपिक	
5.	ओम प्रकाश लिखार, प्रधान लिपिक	
6.	विनीत, निम्न श्रेणी लिपिक	
7.	राजेश कुमार, वाहन चालक	

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., भोपाल :-

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., भोपाल में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। उद्घाटन समारोह में कार्यालयी कार्य में राजभाषा के अधिकतम उपयोग करने का अनुरोध किया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है।

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	कपिल, अवर श्रेणी लिपिक	प्रथम संयुक्त
	स्नेहा अ. विश्वरूप, प्रवर.श्रे.लि.	
2.	अमित सैन, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय संयुक्त
	आर. के पटेल, कनिष्ठ अभियंता	
3.	साली अरुण गंगाधर	तृतीय संयुक्त
	पी.के. राठौर, क.अ.	
4.	अजय मारन, एम.टी.एस	प्रोत्साहन संयुक्त
	उत्तम कुमार बरूआ, एम.टी.एस.	
5.	रंजना शुक्ला, कम्प्यूटर ऑपरेटर	प्रोत्साहन संयुक्त
	बद्री प्रसाद एम.टी.एस.	
	सौरभ मालवीय, कम्प्यूटर ऑपरेटर	

हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	आर.के.पटेल, क.अ.	प्रथम संयुक्त
	स्नेहा अ. विश्वरूप, प्रवर.श्रे.लि.	
2.	गोविन्द, आशुलिपिक	द्वितीय संयुक्त
	कपिल, अवर श्रेणी लिपिक	
3.	सौरभ मालवीय, कम्प्यूटर ऑपरेटर	तृतीय संयुक्त
	पी.के. राठौर, क.अ.	
4.	रंजना शुक्ला, कम्प्यूटर ऑपरेटर	प्रोत्साहन संयुक्त
	अमित सैन, अवर श्रेणी लिपिक	
	साली अरुण गंगाधर, प्रारूपकार	
5.	बद्री प्रसाद एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त
	उत्तम कुमार बरूआ, एम.टी.एस.	
	सोनू शर्मा, एम.टी.एस.	
	अजय मारन, एम.टी.एस	

अन्वेषण सर्किल, अन्वेषण प्रभाग, भुवनेश्वर एवं अन्वेषण उप-प्रभाग, राजमुंद्री :-

अन्वेषण सर्किल, अन्वेषण प्रभाग, भुवनेश्वर एवं अन्वेषण उप-प्रभाग, राजमुंद्री रा.ज.वि.अ., में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उल्लास से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :

काव्य पाठ प्रतियोगिता (अन्वेषण प्रभाग)

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	एम.कोदण्ड राम, सहायक अभियंता, निरंजन पाठक, आशुलिपिक श्रेणी, विवेक दाधीच, कनिष्ठ लेखाकार, सुजाता सेनापति, कनिष्ठ अभियंता	प्रथम संयुक्त
2.	बी. रविचन्द्र, अधिशासी अभियंता, ए. पी. बास्की, कनिष्ठ अभियंता, बी.एल. देई, प्रधान लिपिक	द्वितीय संयुक्त
3.	आर.एन, पण्डा, प्रधान लिपिक, डी.एस.मलिक, प्रधान लिपिक, एस.महान्ति, प्रारूपकार	तृतीय संयुक्त
4.	ए.के.पाटी, वाहन चालक, पी.के. आचार्य, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त

काव्य पाठ प्रतियोगिता (अन्वेषण उप-प्रभाग, राजमुंद्री)

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	के. आदिविष्णुवु, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रथम
2.	डी.जे.प्रसून्ना, कनिष्ठ अभियंता	द्वितीय
3.	के. हरिहर प्रसाद, सहायक अधिशासी अभियंता	तृतीय
4.	बी. सुब्रह्मण्यम, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	शरत चंद्र दास, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त

निबन्ध प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	एम.कोदण्ड राम, सहायक अभियंता, सुजाता सेनापति, कनिष्ठ अभियंता, निरंजन पाठक, आशुलिपिक श्रेणी, विवेक दाधीच, कनिष्ठ लेखाकार,	प्रथम संयुक्त

2.	बी. रविचन्द्र, अधिशासी अभियंता, ए. पी. बास्की, कनिष्ठ अभियंता, बी.एल. देई, प्रधान लिपिक, एस.के.बल, प्रवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय संयुक्त
3.	डी.एस.मलिक, प्रधान लिपिक, एस.महान्ति, प्रारूपकार, डी.सी. साहु, अवर श्रेणी लिपिक	तृतीय संयुक्त
4.	ए.के.पाढ़ी, वाहन चालक, पी.के. आचार्य, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त

अन्वेषण उप-प्रभाग, रा.ज.वि.अ., राजामुंद्री

प्रश्नमंच प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	बी. सुब्रमन्यम, एम.टी.एस.	प्रथम संयुक्त
2.	के. हरिहर प्रसाद, सहायक अधिशासी अभियंता	द्वितीय संयुक्त
3.	के. आदिविष्णुवु, प्रवर श्रेणी लिपिक	तृतीय संयुक्त
4.	डी. जे. प्रसूना, कनिष्ठ अभियंता	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	शरत चंद्र दास, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त



“हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने माल विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।”

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

“आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।”

महावीर प्रसाद द्विवेदी

मुख्य अभियंता (दक्षिण) के कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा -2020 का आयोजन मुख्य अभियंता (दक्षिण), अन्वेषण सर्किल एवं अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., हैदराबाद

मुख्य अभियंता (दक्षिण), अन्वेषण सर्किल एवं अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., हैदराबाद में संयुक्त रूप से दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक अपने अपने कार्यालय में ही अलग अलग हिन्दी पखवाड़ा 2020 का आयोजन किया गया। प्रत्येक कार्यालय प्रमुखों ने महानिदेशक महोदय की अपील पढ़ी। हिन्दी पखवाड़ा-2020 के दौरान मनाये जाने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी से सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। मुख्यालय, राजविअ, नई दिल्ली से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 से उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए सभी प्रतियोगिताएं लिखित रूप में ही आयोजित किया गया है जिस में प्रतियोगी द्वारा अपने सीट पर ही पेपर लिखवाने का प्रबंध किया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उल्लास से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार हैं:

निबंध लेखन प्रतियोगिता

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	कार्यालय	पुरस्कार
1.	श्री शुभम कुमार, कनिष्ठ अभियंता	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	प्रथम संयुक्त
	श्री विनोद कुमार, अ.श्रे.लि	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	
2.	श्रीमती घंटा निर्मला, प्रधान प्रारूपकार	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	द्वितीय संयुक्त
	श्री. एम. श्रीनिवास, प्रधान लिपिक	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
3.	श्री के.वी.वी. एस.एस. पी. राजु, अ.श्रे.लि	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	तृतीय संयुक्त
	श्री जी.एन.राव, प्रधान लिपिक	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
	श्री विष्णु श्रीकुमार, कनिष्ठ अभियंता	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
4.	श्री कत्तुल वंशी, अ.श्रे.लि.	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	प्रोत्साहन संयुक्त
	श्री पी.हरिप्रसाद, कनिष्ठ अभियंता	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
5.	श्री यस.वी.शिव कुमार, आशुलिपिक	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	प्रोत्साहन संयुक्त
	श्री के.पी.महेश्वर, एम.टी.एस.	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	

शब्दावली एवं व्याकरण प्रतियोगिता

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	कार्यालय	पुरस्कार
1.	श्रीमती घंटा निर्मला, प्रधान प्रारूपकार	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	प्रथम संयुक्त
	श्री. एम. श्रीनिवास, प्रधान लिपिक	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
2.	श्री शुभम कुमार, कनिष्ठ अभियंता	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	द्वितीय संयुक्त
	श्रीमती सी. श्रीलता, अधीक्षक-II	अन्वेषण वृत्त, राजविअ, हैदराबाद	
3.	श्री के.वी.वी. एस.एस. पी. राजु, अ.श्रे.लि	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	तृतीय संयुक्त
	श्री विनोद कुमार, अ.श्रे.लि	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	
	श्री एस. सुरेश, स.अ.	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
4.	श्री पी. हरिप्रसाद, कनिष्ठ अभियंता	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	प्रोत्साहन संयुक्त
	श्री के.पी.महेश्वर, एम.टी.एस.	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
5.	श्री विष्णु श्रीकुमार, कनिष्ठ अभियंता	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	प्रोत्साहन संयुक्त
	श्री कत्तुल वंशी, अ.श्रे.लि.	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
	श्री यस.वी.शिव कुमार, आशुलिपिक	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	

चित्र लेखन प्रतियोगिता

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	कार्यालय	पुरस्कार
1.	श्री एन. सतीश कुमार, कनिष्ठ अभियंता	अन्वेषण वृत्त, राजविअ, हैदराबाद	प्रथम संयुक्त
	श्री. सी.एच. वैकटा किशोर, अ.श्रे.लि.	अन्वेषण वृत्त, राजविअ, हैदराबाद	
2.	श्री के.वी.वी. एस.एस. पी. राजु, अ.श्रे.लि	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	द्वितीय संयुक्त
	श्री विनोद कुमार, अ.श्रे.लि	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	
3.	श्रीमती घंटा निर्मला, प्रधान प्रारूपकार	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	तृतीय संयुक्त
	श्री एस. सुरेश, स.अ.	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
	श्री विष्णु श्रीकुमार, कनिष्ठ अभियंता	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
4.	श्री शुभम कुमार, कनिष्ठ अभियंता	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	प्रोत्साहन संयुक्त
	श्री सी. महेन्द्रराज, प्रारूपकार	अन्वेषण वृत्त, राजविअ, हैदराबाद	
5.	श्री यस.वी.शिव कुमार, आशुलिपिक	मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद का कार्यालय	प्रोत्साहन संयुक्त
	श्री. एम. श्रीनिवास, प्रधान लिपिक	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	
	श्री कत्तुला वंशी, अ.श्रे.लि.	अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, हैदराबाद	

अन्वेषण प्रभाग-। एवं ॥, रा.ज.वि.अ., नासिक :-

अन्वेषण प्रभाग-। व ॥ रा.ज.वि.अ., नासिक में संयुक्त रूप से दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े हर्ष एवं उल्लास से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है:

अनुवाद प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	चेतन शर्मा, अ.श्रे.लिपिक	प्रथम संयुक्त
	एस.व्ही.अयाचित, प्र.लि.	
2.	व्ही.एम.भोसले, प्र.श्रे.लि.	द्वितीय संयुक्त
	अमित कुमार, अ.श्रे.लि.	
3.	अरुण रंगारे, सहायक अभियंता	तृतीय संयुक्त
	डी.रामा मोहनाराव, कनिष्ठ अभियंता	
4.	एम.के.उद्गटी, कनिष्ठ अभियंता	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	एम.एन.राव, अ.अ.	प्रोत्साहन संयुक्त

सामान्य ज्ञान लिखित प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	व्ही.एम.भोसले, प्र.श्रे.लि.	प्रथम संयुक्त
	डी.रामा मोहनाराव, कनिष्ठ अभियंता	
	चेतन शर्मा, अ.श्रे.लिपिक	
	अमित कुमार, अ.श्रे.लि.	
2.	अरुण रंगारे, सहायक अभियंता	द्वितीय संयुक्त
	एस.व्ही.अयाचित, प्र.श्रे.लि.	
3.	पी.श्रीनिवासुलु, स.अ.अ.	तृतीय संयुक्त
	एस.एस.रणदिवे, एम.टी.एस.	
4.	एम.के.उद्गटी, कनिष्ठ अभियंता	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	एम.एन.राव, अ.अ.	प्रोत्साहन संयुक्त

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., बेंगलूरु :-

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., बेंगलूरु में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उल्लास से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :

हिन्दी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	महादेवी एस.ए. बिरादर, प्रारूपकार-II	प्रथम संयुक्त
	एम.पी.कृष्णमूर्ति, सहायक अभियंता	
	एस.राजलक्ष्मी, कनिष्ठ अभियंता	
	डी. जीवमालिनी, कनिष्ठ अभियंता	
2.	भारती श्रीराम, आशुलिपिक	द्वितीय संयुक्त
	एन.एस. भाग्या, प्रारूपकार	
	ई.केम्पणा, अधीक्षक	
	एच.व्यु.प्रभाकर, अ.श्रे.लि.	
3.	एस.बी. मूंडरगी, सहायक अभियंता	तृतीय संयुक्त
	पी.चेन्नय्या सहायक अभियंता	
	संध्या कुलकर्णी, प्रारूपकार	
	एस.नारायण मूर्ति, प्रारूपकार	
4.	ए. बालकृष्णन, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	एम. चिन्नपा, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त

हिन्दी एवं अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	एस.बी. मूंडरगी, सहायक अभियंता	प्रथम संयुक्त
	एन.एस. भाग्या, प्रारूपकार	
	ई.केम्पण्णा, अधीक्षक	
	एस.नारायण मूर्ति, प्रारूपकार	
	संध्या कुलकर्णी, प्रारूपकार	
2.	एस.एस.कलडसगी, सहायक अभियंता	द्वितीय संयुक्त
	बी.एन. ईन्द्राणी, अ.श्रे.लिपिक	
	भारती श्रीराम, आशुलिपिक	
	एच.यु.प्रभाकर, अ.श्रे.लि.	
3.	एस.राजलक्ष्मी, कनिष्ठ अभियंता	तृतीय संयुक्त
	महादेवी एस.ए. बिरादर, प्रारूपकार	
	पी.चेन्नय्या सहायक अभियंता	
	एम.पी.कृष्णमूर्ति, सहायक अभियंता	
4.	जी.राजन्ना, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	जी. मोहन नायर, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., चेन्नई :-

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., चेन्नई में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उल्लास से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :

हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	रजनीश मान, आशुलिपिक	प्रथम
2.	एस. राजा, क.अ.	द्वितीय
3.	वी.एस.ए. मुहम्मद आयूब, प्रवर श्रेणी लिपिक	तृतीय
4.	आर.पान्डूरंगन, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	टी. महेन्द्रन, क.अ.	प्रोत्साहन संयुक्त

अनुवाद प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	एस. राजा, क.अ.	प्रथम
2.	टी. महेन्द्रन, क.अ.	द्वितीय
3.	एस. गुरुराजन, कनिष्ठ अभियंता	तृतीय
4.	वी.एस.ए. मुहम्मद आयूब, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	आर.पान्डूरंगन, प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रोत्साहन संयुक्त

चेन्नई कार्यालय में हिन्दी पखवाड़े की झलकियां



अन्वेषण सर्किल एवं अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., वलसाड :-

अन्वेषण सर्किल एवं अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., वलसाड में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उल्लास से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान दोनों कार्यालयों में अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है:

अन्वेषण सर्किल

लेखन प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	रीटा ए. नायक, प्र.श्रे.लि.	प्रथम संयुक्त
2.	शुभम गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता	द्वितीय संयुक्त
3.	क्रिष्णा पी. देसाई, प्र.श्रे.लि	तृतीय संयुक्त
4.	जे.डी. पटेल, सहायक अभियंता	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	विनोद डी. पटेल, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त

अन्वेषण प्रभाग

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	एम. डी. ठीम्मर, कनिष्ठ अभियंता	प्रथम संयुक्त
2.	आदित्य तिवारी, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय संयुक्त
3.	एम.डी. पटेल, सहायक अभियंता	तृतीय संयुक्त
4.	एस.बी. एकबोटे, प्र.श्रे.लि.	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	एन.सी. आशरा, प्रारूपकार	प्रोत्साहन संयुक्त

अन्वेषण सर्किल

लिखित प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	उपेन्द्र चौधरी, कनिष्ठ अभियंता	प्रथम संयुक्त
2.	शुभम गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता	द्वितीय संयुक्त
3.	दिपिका आर.पटेल, अ.श्रे.लि	तृतीय संयुक्त
4.	जे.डी. पटेल, सहायक अभियंता	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	विनोद डी. पटेल, एम.टी.एस.	प्रोत्साहन संयुक्त

अन्वेषण प्रभाग

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	एम. डी. ढीम्मर, कनिष्ठ अभियंता	प्रथम संयुक्त
2.	आदित्य तिवारी, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय संयुक्त
3.	जे.बी.जानी, कनिष्ठ लेखाकार	तृतीय संयुक्त
4.	एस.बी. एकबोटे, प्र.श्रे.लि.	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	एन.सी. आशरा, प्रारूपकार	प्रोत्साहन संयुक्त

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., वडोदरा :-

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., वडोदरा में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उल्लास से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :

प्रश्नमंच प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	ओम प्रकाश कुमार, आशुलिपिक	प्रथम संयुक्त
	योगेश कुमार.जे.व्यास, प्रारूपकार	
2.	जे.डी.पांडे, सहायक अभियंता	द्वितीय संयुक्त
	श्लोक विजय, कनिष्ठ अभियंता	
3.	डी.बी.ओझा, कनिष्ठ अभियंता	तृतीय संयुक्त
	अनिल कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	
4.	मो.नबील असलम अंसारी, कनिष्ठ लेखाकार	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	धर्मेश कुमार.डी.बी.बारोट, वाहन चालक	प्रोत्साहन संयुक्त
	ए.एन.मेहता, प्रारूपकार	

निबंध प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	जे.डी.पांडे, सहायक अभियंता	प्रथम संयुक्त
	अनिल कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	
2.	श्लोक विजय, कनिष्ठ अभियंता	द्वितीय संयुक्त
	योगेश कुमार. जे.व्यास, प्रारूपकार	
3.	डी.बी.ओझा, कनिष्ठ अभियंता	तृतीय संयुक्त
	मो.नबील असलम अंसारी, कनिष्ठ लेखाकार	
	ओम प्रकाश कुमार, आशुलिपिक	
4.	धर्मेश कुमार. डी.बी.बारोट, वाहन चालक	प्रोत्साहन संयुक्त
5.	ए.एन.मेहता, प्रारूपकार	प्रोत्साहन संयुक्त

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., नागपुर :-

अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., नागपुर में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2020 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़े उल्लास से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :

हिन्दी भाषा ज्ञान (राजभाषा, शब्दावली, शुद्धलेखन) प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	रूपराव आर. हेडाऊ, सहायक अभियंता	प्रथम संयुक्त
2.	के.ए. नायडू, का.अ.	द्वितीय संयुक्त
3.	टी.बी.बुर्डे, अधीक्षक-॥	तृतीय संयुक्त
4.	ए.के.राय, अ.श्रे.लि.	प्रोत्साहन संयुक्त

भाषण प्रतियोगिता

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पुरस्कार
1.	ए.के.राय, अ.श्रे.लि.	प्रथम संयुक्त
2.	के.ए. नायडू, का.अ.	द्वितीय संयुक्त
3.	रूपराव आर. हेडाऊ, सहायक अभियंता	तृतीय संयुक्त
4.	टी.बी.बुर्डे, अधीक्षक-॥	प्रोत्साहन संयुक्त

नागपुर कार्यालय में हिन्दी पखवाड़े की झलकियां



“हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।”

सुमितानंदन पंत

“हिन्दी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है।”

मौलाना हसरत मोहानी

जल संरक्षण

*बी. रविचंद्र

जल संरक्षण का समय आया है।
2020 के इस युग में।।
भारत की जन संख्या 130 करोड़ है।
इतने सारे लोगों को पानी।।
लाये कहां से लाये कहां से ?
आदमी एक दिन में कितना।।
इस्तेमाल करते हैं पानी ?
80 लीटर या 120 लीटर या 200 लीटर ?
गाँव में लोग कम हैं तो पानी का इस्तेमाल भी कम है।
लेकिन नगरों में, शहरों में लोग ज्यादा है।।
पानी का भी इस्तेमाल ज्यादा होता है।
जल बढ़ाना है तो पेड़ पौधे बढ़ाओ।
जल संरक्षण करना है तो।।
नालों का, पाइपों का रिसाव बंद करो।
सिचाई का नहर को पंक्ति बद्ध करो।।
नया-नया तलाब को खुदाई करो भूजल बढ़ेगी।
हर गाँव में होना है एक तालाब कम से कम।।
पेड़ पौधे बढ़ाओ फिर बारिश बढ़ेगी ।
“भूजल” का स्तर भी बढ़ेगा।
हमारे देश में कभी “बाढ़” है कभी, “सूखा” है।।
इस परिस्थिति को मिटाना कैसे ?
इस देश में सारे नदियों को जोड़ना है।।
“गंगा से लेकर कावेरी” तक।
“नदी जोड़ परियोजना” लागू करना है।।

पर्यावरण और जल

*परमानन्द सोनी

दूर तक फैला पानी ही पानी हर तरफ,
अब के बादल ने बहुत की मेहरबानी हर तरफ।

चली हवा गुनगुनाती हुई,
मस्त मौला इठलाती हुई।

धूप फैली उम्मीदें जगाती हुई,
मेघ की धार मन को गुदगुदाती हुई।

पर्यावरण की हरियाली के लिए,
मेघ की घटाएं बहुत जरूरी है।

नहीं उगेगा दाना-दुनका,
हो जायेंगे खेत वीरान।

उपजाऊ जो लगती धरती,
बन जायेगी रेगिस्तान।

हरियाली से भरी हो धरती,
आते बादल तभी वहां।

खूब गरजते खूब बरसते,
करते भारी वर्षा वहां।

हरियाली रखो इस जग में,
वृक्ष लगाना हरे-भरे।

पर्यावरण की रक्षा करना,
पानी है अनमोल रत्न।

मैं जल बोल रहा हूँ

*अभिषेक शर्मा

मैं जल बोल रहा हूँ
अपने दिल के राज खोल रहा हूँ,
जल ही जीवन है, यह सब जानते हैं,
परन्तु जल का भी जीवन है,
क्या यह पहचानते हैं।

बहुत अनमोल है मेरा जीवन,
मैं कैसे तुम्हें बताऊं,
इस बढ़ती आबादी का,
मैं कैसे बोझ उठाऊं,
तुम्हारे किए अत्याचारों को
निरन्तर झेल रहा हूँ
मैं जल बोल रहा हूँ।

मुझको व्यर्थ ना बहाओ,
मुझे नहीं तो अपने आप को बचाओ,
केवल तुम्हारा नहीं मुझपे अधिकार,
पृथ्वी पर और भी हैं जीव हजार,
मैं उनकी तरफ से हाथ जोड़ रहा हूँ,
मैं जल बोल रहा हूँ।

यह मेरे मन की व्यथा है,
इसे कथा समझ ना लेना,
तुम इस अध्याय को,
सभ्यता समझ ना लेना
मुझे सबकी जान बचानी है,
अनंत काल तक पृथ्वी पर जीवन धारा बहानी है,
मैं आज तुम्हारा साथ माँग रहा हूँ,
मैं जल बोल रहा हूँ।

पानी की कीमत

*रिदा कश्यप

पानी बहुत कीमती वस्तु, ये हम सब ने जाना,
जग में इसके बिना गुजारा, मुश्किल है हो पाना।

बनी सभ्यता नदियों के तट, क्योंकि वहां था पानी
भू-जल का ज्ञान नहीं था, नहीं था मानव ज्ञानी।
नदियों के पानी द्वारा ही खेलता, खाता, पीता,
बिना प्रदूषित किए नीर को, जीवन अपना जीता।
जितनी हुई जरूरत नीर की, उतना ही ले जाना।
जग में इसके बिना गुजारा, मुश्किल है हो पाना।


किन्तु ज्ञान जब हुआ भूजल का मानव अति पर आया,
धरती मां के सीने पर इसने आंतक मचाया,
करे छेद अनगिनत जिगर में, दर्द इसे नहीं आया।
ट्यूबवैल आदि से खींच के इसने, पानी बहुत बहाया।
अगर हो गया जल दूषित तो, नहीं है कहीं ठिकाना,
जग में इसके बिना गुजारा, मुश्किल है हो पाना।

इस जल से पौधे, फूल, और बनी रहे फुलवारी
करनी इसकी खूब हिफाजत, अब हम सबकी बारी।
दोहन से ज्यादा संचय का, काम हमें अब करना,
ना रहे नीर अभाव धरा पर, पड़े न दुःखड़ा रोना।
बना रहे जल-जीवन भू पर, ऐसा अलख जगाना।
जग में इसके बिना गुजारा, मुश्किल है हो पाना।

एक अंत में बात कहूं मैं, सुनो ध्यान लगाकर,
जल को तुम मत करना गंदा, प्रदूषण फैलाकर।
दोहन से ज्यादा संचय का, काम हमें अब करना।
ना रहे नीर अभाव धरा पर, पड़े न दुःखड़ा रोना।
जग में इसके बिना गुजारा, मुश्किल है हो पाना।


पर्यावरण के प्रति सचेत करता हुआ एक काल्पनिक आरेखन

*मास्टर शुभम सामंतराय, कक्षा 9वीं



नहीं कलम से.....जल की बर्बादी के कारण
भविष्य में होने वाली समस्याओं का चित्रण

*श्रेया सामंतराय, कक्षा 12वीं



जल विकास राजभाषा विशेषांक

संरक्षक

श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक

संपादक मंडल

श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

अध्यक्ष

श्री मुजफ्फर अहमद, निदेशक (तकनीकी) एवं राजभाषा अधिकारी

सदस्य

श्री राकेश कुमार गुप्ता, उपनिदेशक (तकनीकी) व (मुख्यालय)

सदस्य

श्रीमती अर्चना गुप्त, सहायक निदेशक (राजभाषा)

सदस्य-सचिव

पत्रिका में छपे सभी लेखों के लेखकों के विचार उनके अपने हैं
और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण उसके लिए उत्तरदायी नहीं है।





जल विकास www.nwda.gov.in पर भी उपलब्ध है
jal vikas can also be accessed at www.nwda.gov.in
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, 18-20 सामुदायिक केंद्र, साकेत
नई दिल्ली-110017 द्वारा प्रकाशित